साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

www.samaymaya.com

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569, 7804872701
Phone Fax: +91 731 2015827

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 08 अंक 36 प्रति सोमवार इंदौर, 14 से 20 अप्रैल 2014 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

कांग्रेस-भाजपा दोनों ही महाभ्रष्ट, कमीशनखोर

सत्ता भाजपा या कांग्रेस की, दोनों ही बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली

भारत में 66 वर्ष की आजादी, आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बन जाएगी, जनता ने जिन कांग्रेसियों और भाजपाइयों पर विश्वास करके सत्ता सौंपी, अधिकांश सांसद और विधायक या तो स्वयं अपराधी थे, या सांसद विधायक बनने के लिए खुले में गुंडे, बदमाशों का सरंक्षण लेकर ही सांसद या विधायक बने। सांसद और विधायक बनने के बाद स्वाभाविक था एहसान चुकाने के लिए उन्हें खुले में सरंक्षण देकर अपनी कमाई की और उन्हें सरंक्षण देकर जनता को परेशान करवाया। कानूनों की धज्जियां उड़ाई, प्रशासन का उपयोग किया और दोनों हाथों से लूट का हर-कदम तांडव किया। दोनों ही

देश को गुलाम बना, जनता को भिखारी बनाने, बना दिए कानून

राजनैतिक दलों और उनके सहयोगियों ने संसद और विधानसभाओं में बैठकर अपनी कमाई के लिए पुख्ता व्यवस्था करने, कमीशन डकारने के लिए बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर जनता का शोषण करने के लिए ऐसे कानून बना दिए जैसे कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 जिसमें छोटे व्यापारियों और किसानों को समाप्त कर उनके व्यापार को चौपट किया जाए और किसानों से जमीनें छीनकर ये जालसाज बहुराष्ट्रीय कं. जिसमें इंडियन टोबेको कं.,

(शेष पेज 7 पर)

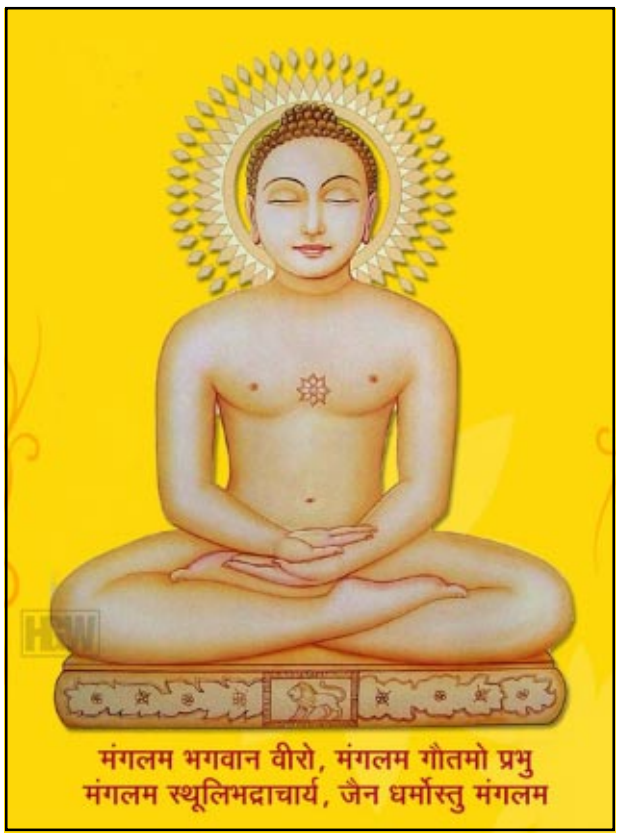

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में भरी जाती है जालसाजी पूर्व कमांड

चुनाव आयोग जिलाधीश के इशारों पर होती है जालसाजियां

सत्ताधीश, मुख्यमंत्री के इशारे पर होते है सारे खेल

भारत में लोकतंत्र में जनता के माध्यम से उनकी सत्ता को चलाने के लिए चुनावों के माध्यम से जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि राज्यों की विधानसभाओं और केन्द्र की लोकसभा में बैठकर जन हितों के नाम पर सबसे पहले अपने हितों और अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के षड़यंत्र रचते हैं, ताकि लंबे समय तक सत्ता में रहकर न केवल सत्ता के सारे सुखों का उपभोग करे वरन् चारों तरफ से लूट और वसूली वह भी करोड़ों से लेकर लाखों करोड़ में कर सके, उनकी सत्ता सुख के इस लिप्सा में वो अनेकों षड़यंत्रों को अंजाम देते है, जिसका छोटा सा उदाहरण चुनाव आयोग का ही लें, देश की आजादी से वर्तमान तक चुनाव आयोग में चुनकर भ्रष्ट बैठाए जाते रहे है। बेशक आयुक्त टीएन शेषन इसका अपवाद रहे जिनकी बदौलत चुनाव आयोग को न केवल छवि सुधरी वरन् जनता को भी काफी राहत मिली,

(शेष पेज 7 पर)

28 वर्ष की सांसदी में क्या किया ताई ने इंदौर में..?

28 वर्ष में 28 प्रश्न भी नहीं पूछे लोकसभा में

सांसद निधि के हर वर्ष मिलने वाले रु. 5 करोड़ से अधिकांश नलकूप खनन में पैसा हजम

इंदौर भाजपा की 1986 से सांसद सुमित्रा महाजन ने इस इंदौर जिले को 28 वर्ष में क्या दिया? यह प्रश्न इंदौर की जनता ताई से हर सभा में पूछ रही है। भाजपा राष्ट्र की राजनैतिक मान्यता प्राप्त दलों की सूची में पंजीकृत इंदौर लोकसभा से भाजपा ने पुनः ताई को अपना सांसद उम्मीदवार घोषित किया है, स्वाभाविक है चुनावी उम्मीदवार होने के नाते ताई ने मतयाचना के लिए सभाओं में सभा में अपना पुनः प्रभाव दिखाने की कोशिश की, परंतु अधिकांश सभाओं के सभा में आई महिलाओं ने ही यथार्थ को सामने रखकर ताई से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए है कि आखिर इंदौर की जनता ने आपको 28 वर्ष तक अपना सांसद बनाया परंतु लोकसभा में 80 प्रश समय तक अधिकांश लोकसभा सत्रों में आप अनुपस्थित रहीं और 28 वर्ष में जनहित में क्या आपने 28 प्रश्न भी लोकसभा सत्रों में रखकर इंदौर नगर के साथ राष्ट्र की जनता के हित में सत्ताधीशों से पूछे, जिसका ताई के पास कोई जवाब नहीं था।

अब जबकि संसद के चुनाव सिर पर है। इंदौर की जनता को बता दें कि समय माया समाचार पत्र के संपादक श्री अजमेरा ने अनेकों लोकसभा के सत्रों के प्रारंभ से पूर्व राष्ट्रहित और जनहित में 500 से ज्यादा सांसदों को 20 से ज्यादा प्रश्नों की प्रश्नावलिया ई-मेल से इसलिए भेजी कि शायद कोई पक्ष-विपक्ष का सांसद जनहित में कोई अच्छा प्रश्न उठा दें, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों पर जो बीओटी के अंतर्गत ठेकेदारों को सौंपी दी गई है। होने वाली खूली वैधानिक लूट के संबंध में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल धारकों के साथ औसतन रु. 10 की लूट के भाव से रु. 1000 करोड़ से ज्यादा की लूट के विरूद्ध प्रश्न उठाने, इंदौर-धार, दाहोद रेलवे लाईन जो वर्षों से लंबित है, जैसे प्रश्न भेजे गए, स्वाभाविक था इंदौर का निवासी होने के नाते सबसे पहले अपने सांसद से ही उम्मीदवार करूंगा कि वो इंदौर की जनता के हित में लोकसभा में आवाज उठाएगी, परंतु जो 80 प्रश लोकसभा के सत्रों में ही अनुपस्थित नहीं हुआ हो, (शेष पेज 7 पर)

मोबाइल फोनों से हर दिन रु. 10 अरब की डकैती

इनकमिंग मुफ्त होने पर भी सभी काटती हैं शुल्क

ट्राई और सांसदों को महीना बांटकर सब को रखती हैं चुप

पूरे भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन धारक है, जिसने न केवल पिछले 14 वर्षों से अग्रिम भुगतान और बाद में भुगतान में प्रतिदिन अरबों रु. की लूट की जा रही है। जो न केवल बातचीत में वरन् मोबाइल पर दी जा रही अन्य सेवाओं यथा इंटरनेट, एसएमएस, कॉलर टोन, भुगतान गानों की डाउनलोडिंग, एमएमएस व अन्य सैकड़ों प्रकार की सुविधाओं पर 1 अरब से ज्यादा मोबाइल धारकों से न्यूनतम 10 से लेकर रु. 200-300 तक की लूट कभी ब्लैक आउट डे, जिसमें त्यौहारों पर पूरी दरों पर एसएमएस, बातचीत, एमएमएस आदि पर की जा रही है। परन्तु इस लूट के विरूद्ध दूर संचार नियामक आयोग से लेकर सांसद और न्यायालयों तक कोई भी अंगुली उठाना तो दूर बोलने को भी तैयार नहीं, यही कारण है कि अब इन मोबाइल की सरकारी कं. बीएसएनएल अर्थात भ्रष्ट शूकर निकम्मा लि., एमटीएनएल से लेकर रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, टाटा, वीडियोकॉन आदि सभी ने इनकमिंग पर भी शान से वसूली शुरू कर दी है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे अरबों रुपए की इस में ट्राई और संचार मंत्रालय के अधिकारियों ने मिलकर लूट की थी यह 3जी और 2जी के स्पेक्ट्रम मामले में सामने आ चुकी थी, इस घोटाले में ट्राई के अधिकारी गले-गले तक कैसे डूबे हुए थे, यह भी महीनों तक छपे इस घोटाले की खबरों ने सिद्ध कर दिया था। इसके विपरीत इस संचार नियामक आयोग में बैठे आयुक्तों अधिकारियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, (शेष पेज 7 पर)

इंदौर लोकसभा से अखिल भारत हिन्दू महासभा के प्रत्याशी

प्रवीण कुमार अजमेरा जैन

को गोभी के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं

चुनाव चिन्ह

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

लोकतंत्र नहीं, डकैत तंत्र की जीत

प्रतिभाशाली, ईमानदार होना अभिशाप

विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्रों में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां की 130 करोड़ से ज्यादा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता चलाने का अधिकार सौंपती है, जनता के द्वारा चुने गए नेता चुनकर सत्ता चलाने का अधिकार सौंपती है, जनता के द्वारा चुने गए नेता भारत में कभी भी ईमानदार और प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिभाशाली और ईमानदार के पास छल,बल, दल और धन नहीं होगा, तो उसके पास भीड़ भी नहीं होगी, क्योंकि भीड़ को नास्ता-चाय-पानी भी नहीं करवा पाएगा, तो कौन बिना भीड़ देखें उसे वोट देगा, अर्थात प्रतिभावान और ईमानदार के लिए कोई जगह नहीं नेतागिरी या पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक या सांसद बनने के लिए, फिर प्रतिभाओं को दिखाने के लिए कड़ी मेहनत, अध्ययन और गहन चिंतन करने के उपरांत कुछ अच्छा, नया, जनहितकारी किया जा सकता है, जबकि नेतागिरी करने के लिए भीड़ को साधना, अपना बना के रखने में ही अधिकांश समय निकल जाता है, जबकि विधायक, सांसदों को विधानसभाओं व सांसदों में अकेले ही जाकर जनहित में निर्णय लेने देने होते हैं। अब जबकि विधायकों और सांसदों को भीड़ से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो कब स्वयं मेहनत, चिंतन और अध्ययन करके जनहित के बारे में सोचकर निर्णय लेने देंगे, फिर भी भीड़तंत्र से विधायक और सांसद बनेंगे तो स्वाभाविक है, भीड़ को साधने में लगने वाले चुनाव में होने वाले खर्चों की पूर्ति या वसूली के लिए उन्हें भ्रष्टाचार से ही धन कमाने सफेदपोश डकैती डालने, जनहितों के नाम पर पहले स्वयं अपनी वसूली करने चाले चलनी ही पड़ेगी। फिर आसानी से ही कोई धन नहीं देगा, बिना डरा-धमकाकर, दबाव और जबरिया वसूली के धन नहीं मिलेगा तो इमानदार और प्रतिभाशाली धन के अभाव में चुनाव लड़ने की भी नहीं सोंच सकता।

चुनाव लड़ने के लिए धन के बिना न तो कोई पत्रकार आपके पास फटकेगा, न बात करेगा, पूरा मीडिया दृष्य, श्रव्ण और मुद्रित सभी के पत्रकारों को धन मिलेगा तो ही वो प्रचार करेंगे आपके साक्षात्कार प्रसारित करेंगे। न ही आप की प्रतिभाओं का बखान कर जनता को बताएंगे। आपने जनहित में पूरा जीवन ही क्यों न बर्बाद कर दिया हो सैकड़ों, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे काम के लिए हो, उल्टे ही वो ऐसे उम्मीदवार का न केवल मजाक उड़ाएंगे, बुराइयां ढूढेंगे, धन मोटे गिफ्ट, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, पानी, सुरा न मिलने पर बदतम्मीजियां दिखाकर अपमान करेंगे, पत्रकारों को धन से मतलब होता है। धन खर्च करेंगे तो आपकी नाकामीयां भी उपलब्धि बना कर जनता को प्रस्तुत करेंगे, अर्थात मीडया धन के मुखेरों की वो फौज है जिसे उम्मीदवार की प्रतिभा, ईमानदारी, जनहितैषी सोच, जनता के भविष्य के लिये किये गये संघर्ष से कोई मतलब नहीं, अर्थात डकैतों की ही पूजा करता है, मीडिया।

दूसरी ओर चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया भी केवल डकैतों के लिये ही है जैसे कि रु. 25000/- का निक्षेप, फिर उसके नियम-कानून भी साधारण उम्मीदवार को जिसे 309 पन्ने की हिसाब-किताब रखने की पुस्तक भरने में ही उसका 12-13 दिन गुजर जायेंगे, तो वह बेचारा चुनाव प्रचार कब करेगा।

इसके साथ ही वहां बैठे निर्वाचन अधिकारी, सहा. निर्वाचन व अन्य अधिकारियों का गैर मान्यता प्राप्त दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ ही आत्यधिक बत्तमीजीपूर्ण रहता है, इंदौर के जिलाधीश जो कि निर्वाचन अधिकारी भी है, साथ उनके अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के सीने पर न ता ेनाम पट्टिका थी न उनके नाम व पद की पट्टिका उनके टेबल पर भी नहीं थी। जो कि आदर्श शसकीय कर्मचारियों अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की तरह लगानी चाहिये नहीं थी, इससे 18-20 उम्मीदवारों के साथ ये अधिकारी भारी बत्तमीजी से पेश आकर जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे थे। 9 अप्रैल 14 को 5.15 बजे तक भी चनाव चिह्न आवंटन का पत्र न देकर उन उम्मीदवारों की मानसिक प्रताड़ना देकर समय बर्बाद कर सिद्ध किया कि ये सारे अधिकारी कर्मचारी केवल पैसे वाले बड़े उम्मीदवारों को ही सम्मान देते हैं। स्वयं चुनाव आयोग कितना ईमानदार और निष्पक्ष है, इसके उदाहरण समय माया अपनी साइट और समाचार पत्रों के माध्यम से 17 वर्षों से उठाता रहा है। अर्थात लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, जालसाजी से जो धन कमायेगा, वही उम्मीदवार हर कदम पर प्रशासन, शासन, मीडिया और जनता में धन बांट पायेगा, वही चुनाव जीत पायेगा, जो भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, जालसाजी के धन को निवेशित कर चुनाव जीत कर विधानसभाओं, लोकसभा में पहुंचेगा, स्वाभाविक है वह बड़े पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं., उद्योगपतियों से धन प्राप्त कर उनके हितों को साधेगा। फिर चाहे वो देश को गिरवी कर जनता को लूटे, गुलाम बनायें, उसकी बलासे, जनता कल की बर्बाद होती आज बर्बाद हो, कल की मरती आज मरें, उसकी बला से, जनता भ्रष्ट, जालसाज, डकैतों को जो अरबों रु. कमीशन खाकर डकैती डाल, करोड़ों लूटाकर वोट के बदले नोट लेकर चुनेगी तो लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र रहेगा। वह डकैत तंत्र बनेगा ही जो पिछले 66 वर्षों से जनता देख, सुन व भोग रही है। जनता की मजबूरी होती है कि घोर महाभ्रष्ट अपराधियों में से कम भ्रष्ट अधिकारियों को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनायें।

खूले में प्रदूषण कानूनों, श्रम विधि, ओ.स्वा. सुरक्षा कानूनों का कर रहे उल्लंघन

90 प्रश उद्योग, हॉस्पिटल आदि चल रहे अवैध रूप से

सभी विभागों यथा श्रम, औद्य. स्वा. सु., प्रदूषण मंडल, आदि से लेकर एसडीएम, मंत्रियों तक सबकी वसूली कर, सब है चुप

मप्र के हर प्रशासनिक विभाग से लेकर निगरानी और नियमन करने विभागों में बैठे हर अधिकारी निरीक्षक से लेकर बाबू चपरासी तक को पैसा देकर हर नियम कानूनों के उल्लंघन से लेकर आपराधिक व्यक्ति, संघ, समूह कुछ भी करवा ले या करता रहे, कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे तो डाक बांटने वाला विभागीय भृत्य, निरीक्षक अधिकारी, उपसंचालक, संचालक, आयुक्त,एडीएम तक विराजे हो, मोटी रिश्वत डकार, आंख मींचकर कुर्सी से लिपटे रहकर कार्यालयीन औपचारिकताएं निभाते रहेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं वैधानिकता, अवैधानिकता से फिर ये सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस प्रशासन सभी जानते है कि अगर अपराधी कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा तो अपराध ही नहीं बनेगा और अपराध नहीं बनेगा तो कोई क्यों सिर झुकाएगा, क्यो मोटी रिश्वत देगा, महीना बांटेगा, इसलिए ये अपराधों, अवैधानिकता को बढ़ावा, संरक्षण देकर अपनी कमाई की व्यवस्था करते हैं।

इंदौर के सांवेर रोड, पोलोग्राउंड, उद्योग नगर, पालदा, नेमावर रोड, लक्ष्मी नगर, धार रोड की इंदौर से लेकर घाटा बिल्लौद लेबड़ में लगे उद्योगों में अंदर बाहर से भ्रमण के दौरान पाया गया कि अधिकांशतः उद्योग खुले में मप्र औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जो कारखाना अधि. 1948 के लिए स्थापित किया गया था, हर फैक्ट्री, हॉस्पिटल, नर्सिंग या विद्युत का उपयोग कर, अपनी गतिविधियां चला रहा हों, उसमें चाहे फिर रंगाई, फार्मा, प्रयोगशालाएं छोटे-बड़े उद्योग आते हैं। खुले में उक्त अधि. की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। श्रम कानूनों में भी न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधि. जैसे 54 से ज्यादा कानूनों का उल्लंघन कर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भी भूगतान नहीं किया जा रहा है। बस श्रम नीरिक्षकों को महीना बांटकर, श्रम कानून के उल्लंघन का अपराध कर रहे हैं।

वहीं हाल अधिकांश औषधि, रसायन, खाद्य वस्तुओं, मशीनों की वर्कशॉप्स, यंत्रों के कलपुर्जे होटलों रेस्टोरेंट बनाने वाली, शराब बनाने, पैक करने वाली, बैट्रीया भरने-तोड़ने बनाने वाली, अधिकांश हास्पिटल्स, नर्सिंग होम्स आदि का है जो खुले में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण फैलाकर पूरा वातावरण न केवल धरती के ऊपर वरन् धरती के अंदर बहने वाले जल को भी बर्बाद कर रहे हैं। जिनकी अनेकों शिकायते सांवेर रोड, पालदा, देवास रोड, लक्ष्मी नगर, नेमावर रोड, मांगलिया और शहर के मध्य चलने वाले नमकीन, मिठाई बनाने व अन्य उद्योगों से फैलने वाले जल,वायु और ध्वनि के प्रदूषण के संबंध में की गई पर धूर्त, हरामखोरों की फौज का अड्डा बन चुके प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने न तो सुनी, न कोई कार्यवाही की, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदारों को भी चूंकि महिना मिलता है, तो उन्होंने कार्यवाही की तो दूर रहवासियों की शिकायतों को न तो सुना, न स्वीकार किया। वही हाल इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों,पार्षदों और महापौर का भी है, जो अपने क्षेत्र में चल रहे उद्योगों,स्वर्ण रजत आभूषण इकाइयों, निर्माताओं जो हायड्रोग्लोरिक नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर नालियों में बहा देते हैं, ऐसे 1000 से ज्यादा आभूषणों के निर्माता 2000 से ज्यादा रसायन, फार्मा, यंत्रों, कलपुर्जों, नमकीन, मिष्ठान, खाद्य वस्तुओं आदि का व्यापार करने वाली 400 से ज्यादा नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल से महिना तिमाही, छ माही या वार्षिक वसूल कर खुले में सभी कानूनों का उल्लंघन करवाकर, अपराधों को संरक्षण दे रहे हैं। इन सब की आड़ में स्वाभाविक है अरबों रु. की वसूली का खेल चल रहा है।

स्वाभाविक है कि जब उद्योग संचालक, नर्सिंग होम हॉस्पिटल संचालक आभूषण निर्माता, खाद्य वस्तु विक्रेता, दुकानदार आदि श्रम निरीक्षकों नगर निगम के विभिन्न विभागों यथा खाद्य निरीक्षकों सफाई निरीक्षकों, पार्षदों का पैसा बांटते है, तो श्रमिकों को रु. 212/- प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी और 8 घंटे काम के बदले रु. 100 से 200 भुगतान कर जिसमें शॉपिंग माल जैसे सी-21 मॉल, मंगल सिटी, ट्रेजर आइलैंड, पाकिजा आदि जैसे सैकड़ों दुकानदार, बड़े विक्रय केन्द्र, कार्यालय मात्र रु. 4000/-, 6000 मासिक देकर 10 से 12-14 घंटे तक काम लेकर घोर शोषण कर ऐसे सभी श्रमिकों, कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना रहे है। यही हाल सभी छोटी-बड़ी होटलों, रेस्टोरेंट का भी है। सभी कानूनों की तारीफ व्याख्या कर न केवल सभी उद्योग मालिकों को हॉस्पिटल, फैक्ट्रियों आदि के संचालकों आदि को न्यायालय में खड़ा किया जा सकता है, परन्तु जानबूझकर बारीक व्याख्या इसीलिए नहीं की है, किए भ्रष्ट शासकीय हरामखोर हर विभागों के अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे लघु उद्योगों, फैक्ट्रीयों को हर कानून कें महीना वसूली के बाद भी ज्यादा परेशान कर, कानूनी कार्यवाही की धमकी देकर ज्यादा लूटेगी।

पोलोग्राउंड के शाह, फार्मा उद्योग संघ के अध्यक्ष से बात की गई कि खुले में आपके सदस्य प्रदूषक फैलाते हुए व अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हुए चलाई जा रही है। तो शाह जवाब था कि यदि उल्लंघन हो रहा है, तो कोई भी विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं कि। वही उद्योग नगर में जेके दाल मिल्स के संचालक सुरेश अग्रवाल जो इंदौर दाल मिल्स संघ के अध्यक्ष है, से कहा गया तो भी यही जवाब मिला।

2206 मतदान केंद्रों पर लगेंगी दो-दो मशीनें

इंदौर। नामवापसी के बाद स्पष्ट तस्वीर से साफ हो गया हैं कि इंदौर शहर की पांचों विस क्षेत्र, सांवेर, राऊ, देपालपुर में लोकसभा का मतदान दो बैलेट यूनिटों(मशीनों) से ही हो पाएगा। इन आठों विस में कुल 2206 मतदान केंद्र हैं, जबकि महू विस के 260 बूथ पर मतदान के लिए एक ही मशीन लगाना होगी, क्यों कि धार लोकसभा चुनाव में कम उम्मीदवार है।लोकसभा चुनाव में इस बार 22 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें प्रमुख सुमित्रा महाजन भाजपा, सत्यनारायण पटेल कांग्रेस, अनिल त्रिवेदी आप, डॉ. नेहा शर्मा सपा आदि है। वोटिंग मशीनों में 16 बटन होते है, जिसमें एक नोटा के लिए आरक्षित होता है। ऐसे में हर बूथ पर दो मशीनें लगाना होगी। पहली मशीन में पंद्रह उम्मीदवार व एक नोटा, दूसरी मशीन में सात उम्मीदवार एवं एक नोटा का विकल्प होगा। जिले में मौजूदा स्थिति में करीब तीन हजार मशीनें ही थी। अब करीब ढाई हजार मशीनें और बुलाना पड़ रही है। कुछ जिलों में अतिरिक्त मशीनें थी, जिनकी सूचना हर जिलों को भारत निर्वाचन आयोग ने दी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश त्रिपाठी ने अतिरिक्त मशीनों वाले जिलों के प्रमुखों से अतिरिक्त मशीनें बुलाने के लिए पत्र लिख दिया है, उम्मीद है अगले तीन दिन में इंदौर जिले के लिए ढ़ाई हजार से अधिक ईवीएम और आ जाएगी। 11 अप्रैल से ही अगले चरण का मतदान अधिकारी प्रशिक्षण भी हो रहा है। इसमें दो मशीनों से कैसे चुनाव कराए, इस बारे में पीठासीन अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को समझाया जाएगा। महू विस के 260 बूथों के लिए अलग से प्रशिक्षण होगा, जबकि इंदौर संसदीय क्षेत्र के 2206 बूथों के लिए अलग से ट्रेनिंग देना होगी।

अजमेरा के घोषणा पत्र से दहशत में आ गई भाजपा-कांग्रेस

क्यों रद्द किया हिन्दू महासभा का पंजीयन

चुनाव आयोग, उसके निर्वाचन अधिकारी सब होते हैं, जालसाज, सत्ताधीशों की कठपुतली

भारत के चुनाव आयोग में सत्ताधीशों द्वारा अपने हितों के साधने के लिये चुन-चुनकर ऐतिहासिक रुप से उन भ्रष्ट आईएएस को आयुक्त व अन्य अधिकारियों के रुप में ही पदस्थ किया जाता है। जो उनके इशारों पर नाचकर सब वैध-अवैध कामों को उनके हित में कर सकें, इसके इतिहास में आजादी के बाद से वर्तमान तक अनेकों उदाहरण लाखों समाचार पत्रों और 1990 के बाद से टीवी समाचार शृंखलाओं के हजारों घंटों की रिकार्डिंग से देखे जा सकते हैं।

भारतीय चुनाव आयोग राज्यों के चुनाव आयुक्तों से लेकर जिलों में जिलाधीश के रुप में बैठे निर्वाचन अधिकारी तक केवल सत्ताधीशों और मुख्य विपक्षी दमदार राजनैतिक पार्टियों को ही गिनते, सुनते और बजाते हैं। बाकी के साथ राष्ट्रीय, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर अन्य सभी प्रत्याशियों का, जो कि प्रमुख पार्टियों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचायेंगे, या उसकी संभावनाओं हो कैसे परेशान करतीं, मानसिक रुप से प्रताड़ित करके, छल कपट से नामांकन रद्द करने, निर्दलीय घोषित करने का षड्यंत्र चलती हैं। इसका एक उदाहरण जो अजमेरा जो लोकसभा के प्रत्याशी के साथ हुआ, प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री अजमेरा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को अखिल भारत हिन्दु महासभा जिसका इतिहास भारत की सभी वर्तमान राजनैतिक पार्टियों से न केवल पुराना व उज्जवल वरन् इतिहास के वैध दस्तावेजों में 1830 अर्थात कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनीं, उससे भी 55 वर्ष पुराना जो 1882 में पंजीकृत हैं, लंदन में पंजीकृत हुई, का हैं, जिससे 1940 में आरएसएस, आजादी के बाद जनसंघ बनी वही जनसंघ 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी में बदल गईं, जिसका इतिहास हिन्दी, हिन्दू की ओर अकिल भारत के हितों की रक्षा के रूप में दर्ज है। जिसका पंजीयन अचानक घोषित किया जाता है, दिनांक 09.04.14 को रद्द कर दिया गया है और इस संदर्भ में आपत्ति लगाने के बाद चुनाव आयोग के सचिवालय के अंडर सेक्रेटरी प्रमोद कुमार शर्मा का दिनांक 7 अप्रैल 14 का पत्र क्र. 56/034/2013 की प्रति दी जाती हैं, जिसमें हवाला दिया जाता है कि किसी ईओ/1/07042014 दि. 07.04.14 के अनुसार आंतरिक विवादों के चलते अखिल भारत के हिन्दू महासभा के आफिस बियरर्स की कोई अधिकृत सूची नहीं है, इसलिये उसके फार्म ए और बी को अस्वीकृत किया जाता हैं, इस प्रकार से हिन्दू महासभा के प्रत्याशी प्रवीण अजमेरा की निर्दलीय घोषित कर दिया जाता है, अब यहां प्रश्न यह उठता है कि निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधीश आकाश त्रिपाठी इंदौर जिला संसदीय क्षेत्र द्वारा दिये गये इस पत्र में पत्र प्राप्ति चाहे वह ई-मेल, स्पीड पोस्ट से या अन्य तरीके से प्राप्त किया गया हो, जिसे पहले निर्वाचन कार्यालय, राज्य निर्वाचन भोपाल और भोपाल से उचित माध्यम से वैधानिक तरीके से आना चाहिए था, न तो कहां से आया, स्वाभाविक है सचिवालय भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन अशोका रोड दिल्ली सबसे ऊपर लिखा है, माना जाना चाहिये, परन्तु इंदौर कार्यालय की आवक या पत्र प्राप्ति की व दि. की मुद्रा भी नहीं लगी हैं, दूसरी ओर 7 अप्रैल 14 को सुबह 7 बजे से ही मिजोरम, आसाम के कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव में मतदान शुरु हो चुका था, जबकि चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय 10 बजे

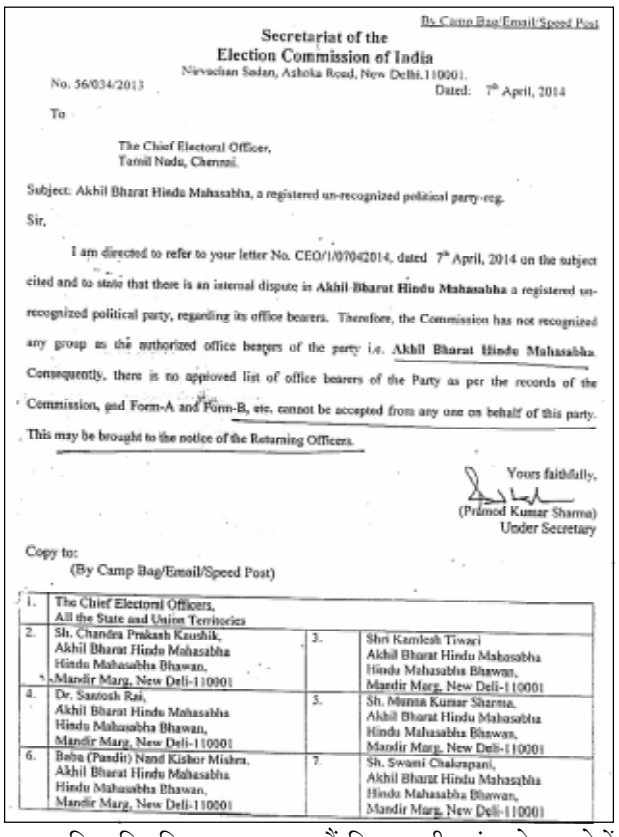

By Camp Bag/Email/Speed Post

Secretariat of the
Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 56/034/2013 Dated: 7th April, 2014

To

The Chief Electoral Officer,
Tamil Nadu, Chennai.

Subject: Akhil Bharat Hindu Mahasabha, a registered un-recognized political party-reg.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. CEO/1/07042014, dated 7th April, 2014 on the subject cited and to state that there is an internal dispute in **Akhil Bharat Hindu Mahasabha** a registered un-recognized political party, regarding its office bearers. Therefore, the Commission has not recognized any group as the authorized office bearers of the party i.e. **Akhil Bharat Hindu Mahasabha**. Consequently, there is no approved list of office bearers of the Party as per the records of the Commission, and Form-A and Form-B, etc. cannot be accepted from any one on behalf of this party. This may be brought to the notice of the Returning Officers.

Yours faithfully,
(Pramod Kumar Sharma)
Under Secretary

Copy to:
(By Camp Bag/Email/Speed Post)

1.	The Chief Electoral Officers, All the State and Union Territories		
2.	Sh. Chandra Prakash Kaushik, Akhil Bharat Hindu Mahasabha Hindu Mahasabha Bhawan, Mandir Marg, New Deli-110001	3.	Shri Kamlesh Tiwari Akhil Bharat Hindu Mahasabha Hindu Mahasabha Bhawan, Mandir Marg, New Deli-110001
4.	Dr. Santosh Rai, Akhil Bharat Hindu Mahasabha Hindu Mahasabha Bhawan, Mandir Marg, New Deli-110001	5.	Sh. Munna Kumar Sharma, Akhil Bharat Hindu Mahasabha Hindu Mahasabha Bhawan, Mandir Marg, New Deli-110001
6.	Baba (Pandit) Nand Kishor Mishra, Akhil Bharat Hindu Mahasabha Hindu Mahasabha Bhawan, Mandir Marg, New Deli-110001	7.	Sh. Swami Chakrapani, Akhil Bharat Hindu Mahasabha Hindu Mahasabha Bhawan, Mandir Marg, New Deli-110001

खुला, जिस विवादित पत्र हवाला देकर हिन्दू महासभा के आंतरिक विवादों का हवाला देकर पंजीयन निरस्त किया गया हैं, अंडर सेक्रेटरी प्रमोद शर्मा को 7/4/14 को पत्र मिला, तत्काल चुनाव की मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद भी 07/4/14 को ही पंजीयन निरस्तीकरण की बिना वैधानिक और आवश्यक जांच किये, धूर्त जालसाज ने पंजीयन रद्द करने का पत्र सीधे जिलाधीशों निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिया, जो कि पहले राज्य निर्वाचन आयोगों को भेजा जाना चाहिये था, इस पत्र को जारी करने, भेजने में हर कदम षड्यंत्रों जो सत्ताधीश कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा जो बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली बन सत्ता संचालित कर रही हैं कि खुशबू आती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि बहुराष्ट्रीय कं. जो इन दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों को मोटा चंदा बांटती हैं जिनके विरुद्ध श्री प्रवीण अजमेरा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किा था कि राष्ट्र की सत्ता की बहुराष्ट्रीय कं. के चंगुल से मुक्त करवायेंगे, राष्ट्र की जनता के हितों के विरुद्ध बहुराष्ट्रीय कं. के हितों और लाभार्जन के लिये बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06 को जो कि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों और व्यापारियों को बेरोजगार कर देगा तत्काल प्रभाव से समाप्त करेंगे। से दहशत खाकर ही बहुराष्ट्रीय कं. ने भाजपा और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव आयोग पर दबाव डलवाकर इस षड्यंत्र को अंजाम देकर अखिल भारत हिन्दू महासभा का पंजीयन रद्द करवाने का जालसाजी पूर्ण कृत्य संपन्न किया।

जबकि ए बी फार्म स्वयं चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक और गैर राजनैतिक पंजीकृत दलों को जारी किये जाते हैं। अखिल भारत हिन्दू सभा को भी चुनाव आयोग ने ही जारी किये थे, जिसे पार्टी अध्यक्ष श्री कमलेश तिवारी द्वारा ही अजमेरा जी को भेजा गया था, बाद में नामांकन के समय ये ही ए बी फार्म अपने नामांकन पत्र के साथ, 26 इंदौर सामान्य लोकसभा के चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी को 04/04/14 को प्रस्तुत किये गये थे, जिसे स्वीकार कर 07.04.14 को, निर्वाचन अधिकारी, जिलाधीश इंदौर कार्यालय ने अजमेरा को अखिल भारत हिन्दू महासभा के प्रत्याशी के नामांकन स्वीकृत होने की घोषणा कर सूचना दी, पर 09.04.13 को असने निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव चिह्न आवंटन की घोषणा की गई, वैसे भी श्री अजमेरा जनहितों के लिये 17 वर्ष से सतत संघर्ष कर रहे हैं। ये चुनाव भी वे केवल चुनाव आयोग के षड्यंत्रों, छलकपट, जालसाजियों को बारीकी से समझने और समय माया में यथार्थ को प्रकाशित करने के लिए लड़ रहे हैं। जिनके पास 53 वर्ष की उम्र में भी एक अच्छा रहने का मकान, अच्छा कार्यालय भी न हो, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व की जनता के भविष्य के हितों और सुख-समृद्धि के लिये लिखने व प्रकाशित करने में ही रहा, स्वाभाविक है वह न छल सीख पाया न दलबल और धन इकट्ठा कर, लाख दो लाख रु. भी खर्च न कर सकता हो तो कैसे चुनाव जीत सकता है, जिसके पास न शोर शराबा, न दिखावा हो, उसे जनता क्यों चुनेगी, फिर वह पार्टी से लड़े या निर्दलीय क्या फर्क पड़ता है, फिर जनता अगर सच जान ही जाये और चुन ही ले तो निर्दलीय जीतने के बाद हिन्दू महासभा सदस्य घोषित कर दें।

यदि जनता अजमेरा के जनहित के संघर्षों का यथार्थ समझकर चुनाव जीता भी दे तो भी ये निर्दलीय प्रत्याशी हिन्दू महासभा की सदस्यता दिखाकर भी हिन्दू महासभा का ही सांसद कहलायेगा और संसद में बैठकर भी कांग्रेस भाजपा के जनहित विरोधी कानूनों को समाप्त करने का संघर्ष करेगा, तब चुनाव आयोग और कांग्रेस क्या कर लेंगी, अजमेरा का बचपन से वर्तमान तक संघर्षों में गुजरा है, गुजरेगा, पंजीयन रद्द करने का षड्यंत्र संघर्ष के लिये ठोस मुद्दा दे दिया जिसको अंतराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जायेगा। श्री अजमेरा के 10 मार्च को प्रकाशित घोषणा-पत्र में से क्यों भाजपा और कांग्रेस ने बिन्दुओं को ले लिया। पिछले 66 वर्ष में कांग्रेस को और 34 वर्षों से भाजपा को जनहित के इन बिन्दुओं की याद क्यों नहीं आई, हिन्दु महासभा के इस घोषणा पत्र की अच्छाइयों, सटीकता और जनहि से डरकर इन जालसाजों ने चुनाव आयोग से पंजीयन ही रद्द करवाने की साजिश रची, फिर श्रीमती सुमित्रा महाजन, जिलाधीश आकाश त्रिपाठी पिता अरविन्द त्रिपाठी पूर्व के सिटी इंजनियर नगर निगम, इंदौर वर्तमान महापौर मोघे सब एक ही कालोनी के निवासी हैं, इंदौर की इंद्रपुरी कालोनी के कलेक्टर को कुछ तो निभाना ही पड़ेगा।

---

84 से ज्यादा योजनाओं में मिलता है, अरबों रु. ग्रामीण विकास के नाम

मु.का. अधि. जिला पंचायत को हर आवंटन से पूर्व ही वसूली

आबंटन से पूर्व ही नगदी देना पड़ते है... सरपंच सचिव करते है मजबूरी में भ्रष्टाचार

ग्रामीण विकास ग्राम निवासियों के जीवन यापन, रोजगार आदि के नाम पर नीतिगत और गैर नीतिगत मदों में केन्द्र व राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि में 84 से ज्यदा मदों में ग्राम पंचायतों के लिए धन आवंटित करता है, जिसकी हर जिला पंचायतों में 32 से ज्यादा रोकड़ बहीयां लिखी जाती है। जिसका पैसा ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में सीधे जिला पंचायतों में आवंटित करती है।

जबकि दूसरी ओर पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को हर आवंटन का 5 से 25 प्रश धन योजना की स्थिति और उपयोगिता के अनुसार पूर्व में ही नगद वसूली जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और उनके मातहतों द्वारा कमीशन के रूप में वसूली कर ली जाती है। यही कारण है कि प्रशिक्षु आईएएस या वरिष्ठ एसएएस अधिकारी जिला पंचायत के पदों पर रहकर हर वर्ष रु. 100 से 200 करोड़ और आदिम जाति जिलों में रु. 500 से 1000 करोड़ रु.साल की कमाई करते हुए चिपके रहते है।

धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल जहां हर वर्ष रु. 5000 से 7000 करोड़ रु.आदिम जाति कल्याण के नाम पर प्रदेश और देश की सरकार आवंटित करती है।

रु. 1000 करोड़ तक मु.का.अ.जि.प. डकार जाते हैं, इसलिए इन हजरामखोर जालसाज मु.का.अ. के दिमाग सातहवें आसमान तो रहते ही है, साथ ही घोर बद्दतमीज भी होते हैं। जब मु.का.अ. ही भ्रष्ट है तो स्वाभाविक है, सारे ग्राम पंचायतों के सचिवों को उस कमीशन के धन को एक नं. के खर्चों में लाकर समायोजन करना पड़ता है, जब 5 से 25प्रश तक जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी डकारते हैं तो फिर सरपंच, सचिव इन योजनाओं जिसमें मध्यान्ह भोजन, महिला बाल विकास पोषण आहार, ग्राम विकास, उद्यानिकी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध, असहाय विधवा पेंशन, मनरेगा, स्व रोजगार, स्वसहायता समूह आदि योजनाओं, परियोजनाओं का 25 से 100 प्रश तक झूठे व्हाउचरों, बिलों, फर्जी दस्तावेजों से डकारने में क्यों और कैसे परहेज करेंगे, फिर ग्राम पंचायतों के सचिव 5-10 वर्ष में करोड़पति हो जाए सरपंच वर्ष दो वर्ष में 15 लाख की गाड़ियों में चलकर जमीने खरीदे, विशाल बंगला बनवा ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

यथार्थ में ये बड़े अधिकारी अपनी कमाई के लिए पहले छोटों को भ्रष्ट बनाते है ताकि उनकी कमाई में कोई व्याधा उत्पन्न न हो, अब जबकि जिला पंचायतों द्वारा सीधे ही चेक या ड्राफ्टों से या सीधे खाते में पैसा ग्राम पंचायतों को भेजना पड़ता है तो उसका तोड़ आवंटन पूर्व वसूली के रूप में निकाल लिया गया है। इंदौर के पूर्व मु.का.अ. जिला पंचायत गोपाल दांड उनके खास चहेते जालसाज अंतिम दूबे की अनेकों जालसाजियां पूर्व समय माया ने प्रकाशनों में प्रकाशित की जा चुकी है। वर्तमान मु.का.अ. भी उन्हीं खास भ्रष्टों और जालसाजों के माध्यम से ही अपनी कमाई कर रहे हैं।

ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंच यदि न चाहे और लिखित शिकायत पत्रों पर ई-मेल से दस्तावेजों के साथ भेजते हैं। समय माया समाचार पत्र पूर्व के प्रकाशनों की तरह उन्हें न केवल प्रकाशित करेगा वरन् उनके विरूद्ध कार्यवाही राज्यों की राजधानी में बैठे प्रधान व मुख्य सचिव से लेकर देश की राजधानी के ग्रामीण मंत्रालयों तक करने के लिए बाध्य हैं।

साप्ताहिक समय माया

मुमं. पद का सौदा- जागो शिवराज

भाई-ताई को जिताएगा ताई-भाई को बनाएगी मुख्यमंत्री

मोदी की लहर के चलते ताई-भाई व भाजपा जीत के लिए आश्वस्त

मप्र के तीसरी विधानसभा में भी भाई अर्थात मंत्री नगरीय एवं प्रशासन पर्यावरण और आवास कैलाश विजयवर्गीय और ताई अर्थातम इंदौर की 1986 से सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन के शीत युद्ध का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। इसके विपरीत राजनीतिक में कब शत्रु मित्र बन जाए और कब मित्र शत्रु बनकर दहाड़ने लगे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा ही लोकसभा चुनाव में ताई और प्रदेश भाजपा में ताई और भाई के बीच चलने वाले शीत युद्ध का इतिहास न केवल भाजपा की प्रदेश ईकांई वरन् राष्ट्रीय स्तर पर लगभग दो दशक से गूंजता रहा है। अब जब फिर चुनाव सिर पर है, तो ताई ने भाई को फिर पटाकर जो गुफ्त-गू की, जिसमें जो सौदेबाजी के तहत भाई ताई को इस चुनाव में पूर्ण सहयोग कर चुनाव जिताएगा वह इसी शर्त पर कि बाद में ताई-भाई को मुख्यमंत्री का मप्र में ताज पहनाने में हर स्तर पर सहयोग करेगी, जिसके लिए बेचारा भाई 10 वर्ष से लगातार दिवा स्वप्न देख रहा है, सारे षड्यंत्रों की राजनीति कर रहा है,परन्तु उसकी हर चाल शतरंज की बिसात पर वजीर को ही मात देने में ही सफल नहीं हो पा रही, तो राजा बनने का ख्वाब कैसे पूरा हो, फिर इतिहास गवाह है कि ताई ने ही भाई को इंदौर से हटाकर दूसरी बार पुनः महू से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया ताकि भाई हार कर इंदौर की राजनीति से बाहर हो जाए, पर भाई ने महू से पुनः छल, बल, दल और धन के दम पर चुनाव जीत ही लिया, इसलिए भाई ने ताई को अपने क्षेत्र से चुनाव हरवाने, भाजपा के सांसद के चुनाव से ठीक पहले दशीकियों से इंतजार कर रहे शहर के ऐतिहासिक व्यावसायिक स्थल के मुख्य मार्ग छावनी, में अतिक्रमण की मुहिम चलाकर लोगों के जीवन यापन की परेशानी खड़ी कर पुनः निर्माण में लाखों रुपए के खर्च को ठीक नवरात्रि और अन्य त्यौहारों पर खड़ी कर दी, जबकि यह भी एक भारी कमाई का समय होता है, वहीं अतिक्रमण का कहर पाटनीपुरा से मालवा मिल और मालवा मिल से जंजीर वाला चौराहे तक भी चलाई गई जिसमें नगर निगम के आयुक्त से लेकर रिमूहव्ल अधिकारी, सिटी इंजीनियर ने न केवल दोनों हाथों वसूली भी की, मन चाहे तरीके के निशान लगाकर तोड़-फोड़ की यही हाल छावनी के आरएनटी मार्ग से लेकर जगन्नाथ धर्मशाला तक किया ताकि जनता आक्रोशित होकर भाजपा की सांसद सुमित्रा महाजन को वोट न दें। बेशक ताई ने राज्य स्तर पर भाजपा विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, पर जब चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई तो ताई ने भी अपना दांव खेलकर मुख्यमंत्री पद का लालच देकर सांसद का चुनाव में जिताने का सौदा किया है। स्वाभाविक सी बात है कि नगरीय प्रशासन मंत्री को अगर मुख्यमंत्री पद का लालच देकर जिताने का सौदा किया है तो भाई मोदी की लहर की चलते 28 वर्षों से ताई के निठल्लेपन के बाद भी भाई-ताई की रैलियों में न केवल स्वयं वरन् अपने हजारों कार्यकर्ता साथ शामिल होकर जिताने के लिए ताई को नारे लगा व लगवा रहा है। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज को ताई-भाई के इस सौदेबाजी की खबर है कि फिर भाई ने मुख्यमंत्री पद हथियाने के लिए पिछले 8 वर्षों में आने को चाले चली, मगर चौहान ने हर चाल को न केवल नाकामयाब किया वरन् भाई को अनेकों मामलों में कानूनी दांव पेंचों में भी उलझा दिया और अपनी कुर्सी को बचाए रखा।

खाद्य सुरक्षा के नाम पर चारों तरफ मचा दी त्राहि-त्राहि

खाद्य पर्ची बांटने की प्रणाली भ्रष्ट, निरंकुश

अन्त्योदय गरीबी रेखा के नीचे वाले लाखों को नहीं मिला राशन

भारत की केन्द्र व राज्य सरकारे पूर्णतः बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली बन नाचने लगी है। खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 के लागू होने से उत्पन्न होने वाली, भीषण बेरोजगारी और उससे फैलने वाली भुखमरी से सरकार में बैठे आईएएस बनाम इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी अच्छी तरह जानते है। जो प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और आयुक्तों के रूप में विभिन्न विभागों में बैठकर बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा अरबों करोड़ में धन हजम कर उनके हितों की मोटी कमाई के लिए उनके हिसाब से नीति निर्धारण करते है, बाद में हाथ आए कमीशन में से कुछ बोटियों को अपने मंत्री और ऊपर प्रधानमंत्री की तरफ उछाल कर आम जनता के हितों पर कुठारघात करने वाली नीतियों कानूनों, योजनाओं को बनाया जाता है, जब वह नीति, कानून, योजनाओं को बनाया जाता है, जब वह नीति, कानून, योजना से दुष्परिणाम सामने आने, जनता का आक्रोश भड़कने लगता है, तो उस गलती को छुपाने ये हरामखोर घूर्तो महाजालसाजों की फौज अपनी कूकृत्य का औचित्य सही सिद्ध करने डेमेज कंट्रोल के लिए नई नीति, कानून, योजना ले आते हैं, ताकि जनता को उसमें उलझाकर पहले परेशान करने, अपनी कमाई की नई व्यवस्था करते है। जैसा की खाद्य सुरक्षा और मानक अधि.06 से बेरोजगारी और भीषण भूखमरी की समस्या उत्पन्न होने से पूर्ण्र खाद्य सुरक्षा कानून थोप कर राष्ट्र की 60 प्रश जनता को गरीबी रेखा में लाकर रु. 1 प्रति किलो में गेहूं चावल देने की व्यवस्था इस लिए ही की गई है, उसमें भी पुराने राशन कार्ड जो अन्त्योदय गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल में आते थे, अचानक समाप्त कर उन्हें खाद्य पर्ची देने का नया नियम लागू कर दिया गया जिसमें अकेले इंदौर तहसील के ही 90 प्रश लोग या राशन कार्डधारी कुछ समझ पाते है, उसकी कानूनी खाना पूर्ति के लिए जो समय दिया गया उसमें नगर निगमों, पालिकाओं, पंचायतों में दो दिन में चारों तरफ भारी भीड़ लग गई जिससे खुले में हर कार्डधारी से रु. 100/- से 200 से तक वसूले जाने के बाद ही सील लगाई गई, 3 दिन तक इस कार्यक्रम के चलने के बाद अचानक ही सब बंद कर दिया गया इस प्रकार हर निगम जोन, पालिकाओं, पंचायतों से जुड़े 100-500 से लेकर दसियों हजार बीपीएल, एपीएल कार्डों पर सील ह नहीं लग पाई, जिससे फर-मार्च में करोड़ों कार्ड धारियों को पूरे देश में राशन नहीं मिला और उन्हें बाजार से गेहूं चावल रु. 15 से 40 प्रति किलो में खरीदना पड़ा।

भारत के प्रशासनिक खुदा अर्थात इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी अपने पदों का कैसे दुरुपयोग कर कैसे इस देश की जनता और उसके हितों से खिलवाड़ कर अपने करोड़ों के कमीशन के लिए जन-धन जो आयकर, विक्रय, कस्टम, एक्साइज से वसूले जाते हैं, अरबों रुपए बर्बाद करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होती, वहीं हाल इन खाद्य पर्चीयों के नाम पर चल रहा है, जबकि ये खाद्य पर्चिया जो बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय परिवार को बांटी जाऐगी, फिर संबंधित दुकान, घर खाद्य पर्ची बांटने वाले जिलों और निगमों के खाद्य अधिकारी करोड़ों रु. का भ्रष्टाचार आसानी से कर लेंगे, क्योंकि भविष्य में ये खाद्य पर्चियों के भाव में कमाई और विनिमय का साधन बन जाएगी।

जबकि राशन दुकान वाले बीपीएल कार्डों, एपीएल, अन्त्योदय कार्डों में पुरानी व्यवस्था में जो प्रविष्टि करते थे। उसमें न तो दिए गए खाद्य की कीमत और न ही दिए गए माल की मात्रा डालते थे और रु. 4 प्रति किलो के गेहूं को रु. तीन से लेकर रु. 5 तक में बैचते थे। वही हाल चावल का था जो रु. 5 से रु. 15 में बेचा जाता था और कुल आवंटित कार्डों को आवंटित गेहूं चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल को 50 से 80 प्रश माल की कालाबाजारी हो जाती थी, जिसमें राशन दुकान के संचालकों से लेकर संबंधित खाद्य निरीक्षक, पार्षद, पंच, सरपंच, एडीएम, एसडीएम, जिला खाद्य अधिकारी तक सबकी हिस्सेदारी होती थी।

अब खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत गरीबों बीपीएल, एपीएल अंत्योदय को जो खाद्य की सुरक्षा के नाम पर जो पर्ची बांटने का खेल शुरू किया गया जो बहुराष्ट्रीय कं. के शापिंग माल पर जाकर खत्म होगा, जिसके अंतर्गत राशन दुकानों को समाप्त करके, उन पर्चियों पर ये शॉपिंग मॉल असली पर्चियों के साथ नकली पर भी सरकार से अरबों रु. का अनुदान प्राप्त कर लेते ताकि उनकी दुकानों पर भी लोग लाइन लगाकर माल खरीदे और वो अपनी महानता के गुण गाएंगे। अंतिम उद्देश्य इन खाद्य पर्चियों का यही है, परंतु वर्तमान में इन खाद्य पर्चियों को बनाए पात्रों तक पहुंचाने में खाद्य निगमों, जनपदों से लेकर पंचायतों के सचिवों तक सबको परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, दूसरी ओर पात्रों को समय पर उचित राशन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यह विकट परेशानी केन्द्रीय और राज्यों के खाद्य और नागरिक मंत्रालयों में बैठे धूर्त आईएएस,सचिवों, आयुक्तों को समझ में नहीं आ रही है, जिसे तत्काल समाप्त किया ही जाना चाहिए।

बेशक यह सारा जाल बहुराष्ट्रीय कं. का फैलाया हुआ है, ताकि वो अपने वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर गरीबों के राशन के नाम पर अरबों रु. हर जिले में डकार सके, जिसे इन्होंने आईएएस अधिकारियों को मोटे कमीशन का लालच देकर फैलाया गया है, पर जनता के चुने राज्यों और केन्द्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा तत्काल समाप्त करवाकर वितरण की पुरानी प्रणाली में ही सुधार करवाना चाहिए।

पिछले 20 वर्षों से इंदौर में प्रदूषण बढ़ाया अब फैलाएगा पूरे प्रदेश में

मप्र प्रदूषण मंडल में चारों तरफ भ्रष्टाचार का प्रदूषण

महाभ्रष्ट, जालसाज मिश्रा पूरे प्रदेश से वसूली के लिए मंडल सचिव

मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल यथार्थ में महिना वसूलकर, प्रदूषण फैलाओं मंडल बन चुका है। इस पर 2 जन 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट न ग्लेन लेदर एंउ लिकर घाटा बिल्लौद जिला धार विरूद्ध मप्र शासन के फैसले में स्पष्ट कहा था, कि इन प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए , उस समय पूर्व के अधिकारी और वर्तमान मंडल सचिव अच्युत आनंद मिश्रा ही थे और ये टिप्पणी इन्हीं के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने ही की थी। बाद में मिश्रा यही पदोन्नति लेकर यहीं पर क्षेत्रीय अधिकारी बन गए, क्षेत्रीय अधिकारी बनते ही मिश्रा ने खुले में सारी फैक्ट्रियों को वायु और जल प्रदूषण को रोकने की अपेक्षा अपनी महीना वसूली कर प्रदूषण फैलाने की खुली छूट दे दी इसका ही परिणाम था कि पोलोग्राउंड पर चलने वाली इप्का फैक्ट्री पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से न केवल वायु प्रदूषण अधि. का उल्लंघन कर वायु प्रदूषण फैला रही है। वरन् जल प्रदूषण अधि का उल्लंघन कर वायु प्रदूषण फैला रही है। यही जल नालो से बहकर एमआर-10 के नाले में मिल जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाल ही में लिए गए छाया चित्रों से हमारे कार्यालय में वरन् फैक्ट्री के सामने बहने वाली नाली में भी देखा जा सकता है। यही हाल अधिकांश पोलोग्राउंड की फार्मा जिसमें 'लेथिको सायनो जैसी उत्पादन इकाईयों वरन् टेक्सटाइल वायर व अन्य उद्योगों का है। सांवेर रोड की फैक्ट्रीयों जिसमें एमपी बियर, पारले, मशीन बनाने वाली फैक्ट्रीयो जैसे अधिकांशतः उद्योगों लक्ष्मी नगर औद्योगिक क्षेत्र, उज्जैन, नेमावर, धार, रोड पर तनी 95 प्रश फैक्ट्रियों का है। इसके साथ ही घनी आबादी के मध्य चल रहे 500 से ज्यादा नर्सिंग होम्स, क्लिीनिक, हॉस्पिटल, छोटे व लघु उद्योग जो पालदा रोड और उद्योग नगर में चल रहे है। जिनके प्रदूषण के बारे में दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में सतत प्रकाशित होता रहता हैं। उनके चारों तरफ घनी आबादी न केवल जल, वायु वरन् ध्वनि प्रदूषण से न केवल परेशानी हो रही है वर्षों से, वरन् गहन गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हो रही है। इन सब से ये पूर्व के क्षेत्रीय अधिकारी मिश्रा रु. 500 से लेकर लाख रु. महिना तक उत्पादन, फैक्ट्री के साइज और कारोबार के हिसाब से वसूली कर अजगर की तरह बीस वर्षों तक जमे रहे, स्वाभाविक था लूट रहे थे, तो मंत्री, संत्री, सचिव आवास और पर्यावरण से लेकर मुख्यमंत्री तक धन पहुंचा रहे थे, वर्तमान में आवास और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है। जिनकी दोस्ती चुनावी चंदे और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के दम पर ही इंदौर में दो दशक बेरोक-टोक पूरे कर लिए थे। पॉलिथीन के प्रदूषण को रोकने के नाम पर भी मिश्रा ने पॉलीथीन उत्पादकों और विक्रेताओं से जमकर वसूली अवश्य की अखबारों में 0.05 माइक्रॉन से कम की पॉलीथिन इंदौर में बंद कर दी गई जो कभी भी बंद नहीं हुई, परंतु मिश्रा की वसूली अवश्य शुरू हो गई। नई कालोनियों चाहे के वैध हो, अवैध हो निगम विकास प्राधिकरण गृह निर्माण मंडल आदि की सरकारी कालोनियां सभी को अनापति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, उसमें भी मिश्रा ने करोड़ो रुपए हजम किए, वैसे तो मिश्रा उसके विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस बनवाने नवीनीकरण करने के नाम पर ही हर वर्ष करोड़ों रुपए की वसूली का खेल करते थे। अब जब आवास और पर्यावरण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पुरानी दोस्ती और सहयोग के चलते मिश्रा को प्रदूषण फैलाओं में उसका सदस्य सचिव ही बना दिया हो तो अंदाज लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में ये सदस्य सचिव प्रदूषण फैलाओं मंडल में वसूली का तांडव करेगा, अब प्रदेश के हर क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी को, ये प्रदूषण फैलाने की खूली छूट देकर बदले में दोनों हाथ से वसूली करवाएगा और लगभग रु. 50 करोड़ प्रतिमाह की वसूली करेगा, प्रदेश की अधिकांश शराब फैक्ट्रिया, रसायन फार्मा, खनिज, सभी बड़े निजी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों, बड़ी कॉलोनियों, भिंड के मानपुर, धार के पीथमपुर, भोपाल के मंडीदीप, ग्वालियर के बामोर, देवास, सतना कटनी की चूना और सीमेंट फैक्ट्रीयों आदि से दोनों हाथ से धन बंटोरकर प्रदूषण के सभी नियमों को मंडल कार्यालयों की दीवार पर टांगकर अगरबत्ती दिखाएगा, क्योंकि इन्हीं कानूनों की आड़ में ही तो कमाई होती है।

यथा इस जालसाज महाभ्रष्ट के मंडल सचिव बन जाने पर मंडल में कार्यरत वास्तविक प्रदूषण रोकने वाले ईमानदार, मेहनतकश कर्मचारियों और अधिकारियों को घोर प्रताड़ित किया जाएगा, उनसे भ्रष्टाचार और वसूली करने का दबाव डाला जाएगा, किसी भी बड़े उद्योगों के प्रदूषण के विरूद्ध न केवल कार्रवाई करने से रोका जाएगा वरन् जिनके विरूद्ध न्यायालयों में प्रकरण चल रहे है। उनसे मोटी वसूली कर न्यायालयों में प्रकरण कमजोर कर बचाने की कोशिश की जाएगी, स्वाभाविक है, इससे प्रदूषण फैलाने वालों के हौंसले बुलंद हो जाएंगे और जनता व प्राकृतिक संसाधनों की घोर बर्बादी की जाएगी। मप्र के मुख्यमंत्री एक तरफ भ्रष्टाचार दूर करने और पारदर्शिता की जीरो टालरेंस की बात करते है तो दूसरी तरफ उनकी ही नाक के नीचे भ्रष्टों को चरित्रहीन, अय्याश, लूटेरों को अच्छे बड़े पदों पर बैठाकर न केवल जनता वरन् प्रदेश के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करने के लिए षड़यंत्र रचा जा रहा है।

पुलिस, क्राइम, एटीएस, एसटीएफ, ट्राफिक, लोकायुक्त आदि सब महाभ्रष्ट जालसाज,

बिना पैसे कोई काम नहीं करती पुलिस- अरबों की महीना वसूली

अपराधियों को संरक्षण देकर ही कमाई करती है, रु. 200 करोड़ से ज्यादा की महीना वसूली

विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्रों में पुलिस उसकी सभी शाखायें जासूसी, अपराध आदि न केवल महाभ्रष्ट और जालसाज होती है वरन् अधिकांश अपराधी और माफिया गैंगस, गुंडो, डकैतों, जालसाजों को संरक्षण देकर महीना वसूली करती है। इस पर हर दिन सभी न्यायालय टिप्पणियां करते हैं। हमारे देश में पुलिस उसकी सभी शाखाओं जिसमें सभी राज्यों के एटीएस, क्राइम, एसटीएफ, लोकायुक्त, ट्राफिक आदि शामिल है का भी यही इतिहास और वर्तमान है, स्वाभाविक है उससे ही भविष्य उत्पन्न होगा, वो धूर्तों, जालसाज सरकारी वर्दी के गनडगस की फौज न कभी सुधरी है, न कभी सुधरेगी।

अपराधियों, गुंडों, आतंकवादियों, ड्रग्स माफियाओं, वैश्यावृत्ति करवाने वालों, धमकी देकर वसूली करने वालों, शराब माफियाओं, भूमाफियाओं, कालोनाइजरों, अखबारों, टीवी चैनलों पर विज्ञापन देकर लोगों को नौकरी दिलाने, शादी करवाने, लॉटरी खुलने-लगने का झांसा देकर धन लूटने वालों, माइक्रो फाइनेंस के नाम गली-मोहल्लों में 25 से 200% ब्याज वसूलने वाले सूदखोरों, नेताओं, खनन माफियाओं, अवैध व्यापार करने वालों जो न केवल इंदौर वरन् पूरे प्रदेश के नगरों, गांवों के हर गली-मोहल्ले में फैले हैं, जिनके विरुद्ध सैकड़ों शिकायतें हर थाने में करते हैं। 99% शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डालकर उल्टे ही अपरादियों से महीना वसूली कर सबको संरक्षण देती हैं, जिसके सैकड़ों किस्से-कहानियां समाचार पत्रों और समाचार श्रृंखलाओं में टीवी पर दिखाई जाती हैं। पर न केवल पुलिस, प्रशासन वरन् प्रदेश के गृह मंत्रालय वरन् राष्ट्र के गृह मंत्रालय पर भी कोई असर नहीं होता। जब तक हत्यायें, खूनी संघर्ष नहीं होता वो जागती नहीं, यहां अगर अपरादियों से महीना बंध गया तो फरियादियों का क्या मजाल उसकी रिपोर्ट तो दूर बिना पैसे के ये गिद्धों की फौज उससे आवेदन भी स्वीकार उसकी पावती तक दे दें। चाहे उसकी सूचनायें जानकारियां सीडी, फोटोग्राफ्स, अन्य दस्तावेज एन्टी टेररिज्म कंट्रोल, क्राइम, स्पेशल टास्क फोर्स, लोकायुक्त, ट्राफिक व अन्य जांच पड़ताल एजेंसियों, यथा सीबीआई, राष्ट्रीय अपराध शाखा को ही क्यों न दे दी हो, उसने जांच भी कर ली हो सब अपराधिक संलिप्तता पाई गई हो, पर फरियादी, सूचना देने वाले की शिकायत पर कार्यवाही करें वो तो उन्हें ही अपराधियों को संरक्षण देकर उनसे वसूली में जुटकर फरियादी को ही परेशान करने में विश्वास रखते हैं।

वर्तमान हालात ये हैं कि जब से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनने लगे हैं। आसानी से ये आपराधिक प्रवृत्ति के जालसाज, ड्रग माफिया, कहीं पर भी आसानी से मकान किराये पर लेते हैं और वोटर आईडी, आधार कार्ड बनवाकर अपने को पहले वहां के निवासी सिद्ध करते हैं, फिर बैंकों से कर्ज लेना, फर्जी ड्राइविंग, फूड, ड्रग लाइसेंस बनवाकर अपनी दुकानदारियां चलाते हैं। 299 अंबेडकर नगर में ऐसे ही जितेन्द्र यादव ने कमरा मकान मालिक के एलगो में से किराये पर लिया आते ही साथ इंदौर का वोटर आईडी कार्ड बनवाकर अपनी ड्रग दुकान का लाइसेंस बनवाकर पालदा में दुकान खोल दी। जहां से 50% दवायें बिना डाक्टरी पर्ची के बेच रहा है। जो कानूनी रूप से अवैध हैं, जबकि यह देवास जिले के हाटपिपल्या गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसका भाई धर्मेन्द्र यादव, साथ में परवेज के साथ छोटा भाई गुलरेज रहता है। इन्होंने आते ही साथ भोपाल के रिजवान और खंडवा के आलोक ठाकुर को भी ऊपर रखवा दिया, साथ में रिजवान का छोटा भाई भी भोपाल से पढ़ने आ गया। परवेज जिसके पास गाड़ी हीरो होंडा सीडी 100 क्र. एम.पी.41 एमई 0323 हैं, जिसके मुखौटे पर दैनिक भास्कर प्रेस लिखा है। हरा धन का निशान बना है। बी फार्मा होने के साथ अपने आप को एमआर बताता हैं, जो सारे दिन घर पर रहकर हिन्दू लड़कियों और औरतों को बुलाता था और घंटे-दो घंटे के लिये जाकर गांवों में ड्रग सप्लाई करता था। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए इसके पास आने वाले संदिग्ध लोगों को देखते हुए सिमी का एजेन्ट होने की आपस में अपने ही कार्यालय में मित्रों के साथ टिप्पणी की गई तो 22 अगस्त 13 को जब 1 बजे श्री अजमेरा उज्जैन के लिये निकले जो इसे पड़ोस में रहने के कारण मालूम था, इसके दो संदिग्ध सिर पर मुसलमानी टोपी लगाये घोर बरसते पानी में लाल रंग की होंडा शाइन बाइक पर

जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। आगे-पीछा करते उज्जैन तक गये, जब 4.30 बजे लौटे तो पुनः आगे पीछे कर दिखाते हुए उज्जैन से अरविन्दों तक आये, जिसमें इसके सिमी संबंधों की पुष्टि होती है। इसके बाद ये और इनके साथियों ने मिलकर रात में 2-3,4 बजे तक दरवाजे में लाते मारना, परेशान करना, जोर से मोबाइल, डेक, टीवी पर गाने सुनाना, 6-7 मिलकर दरवाजे के सामने बैठकर बदतमीजी दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस को बार-बार कहा गया, लिखकर दिया गया, मकान मालिक को कहा गया, क्राइम ब्रांच से पत्रकार मित्रों से जांच करवाई गई तो एम41 एमई 0323 का कोई रिकार्ड नहीं पाया गया। दोस्तों, संदिग्धों को बुलाकर अनैतिक कार्यों की पुष्टि होने के बाद भी जब-जब वो इन्हें उठाने आये परवेज वो बाईक लेकर गायब हो गया अर्थात क्राइम ब्रांच में भी सिमी के सहयोगी बैठे होने की पुष्टि हुई, जिसकी खबर क्राइम के वरिष्ठ अधिकारियों को भी थी कि वहां से खबरें लीक की जाकर अपराधियों को बचा रही हैं। दूसरी ओर पुलिस भी अच्छी तरह जानती है कि गली-मोहल्लों में ये बाहर के अपराधिक प्रकृति के लोग किराये के मकानों में रहकर किन आपराधिक गतिविधियों क्षेत्रीय कामवालियों के माध्यम से अन्य से अंजाम दे रहे हैं। कैसे बाहर से आकर अपराधी अपनी फरारी काट रहे हैं और अपराध कर गायब हो जाते हैं। इंदौर सिमी का अड्डा है, श्री अजमेरा को परवेज ने खुले में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को बुलवाकर हत्याकर टुकड़े करने की धमकियां दिलवाई, जो रास्ते में अकेले घूमने पर हत्या की धमकी दिलवाई गई, पुलिस को दो बार लिखकर दिया गया, फोन करने पर कांस्टेबल आये, रात में 12 बजे भी 6-7 लोगों के साथ बोलने पर तो अजमेरा को ही मकान खाली करने की समझाइश दे गये, ये सब 6-7 इकट्ठे होकर भारी झूठ मक्कारी के साथ हर बार कांस्टेबलों को समझाकर विदा कर देते हैं। चूंकि अजमेरा पैसा देते नहीं, वैसे एटीएस में भी मामले को दिया। सब जानकारी पुख्ता होने पर भी कुछ नहीं किया गया, ड्रग्स, नारकोटिक्स वालों को भी खबर की गई, परन्तु किसी ने भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हर किरायेदार की सूचना संबंधित सूचना पत्र, फोटोग्राफ्स के साथ देनी चाहिये थी, परन्तु मकान मालिक के.एल. गोमे को इनके बारे में बिना जानकारी बिना फोटो और परवेज के नाम के ही दी, इसके साथियों ने इसे बचाया, क्योंकि वो सब इसकी हकीकत जानते हैं। इस आरोप में मकान-मालिक से पूछताछ होनी थी।

पूरे शहर में बाहर से आये लाख से लड़के और लड़कियां पढ़ने और नौकरी के बहाने हर गली में अनैतिक कृत्यों में लिप्त होकर कमाई करते हैं। जिसकी खबर रोज अखबारों में आती रहती हैं। इंदौर आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है, ऐसे ढेरों सुप्त कार्यकर्ता हिन्दुओं के साथ हिन्दुओं की बस्ती में रह रहे हैं। पुलिस जनाकर भी चुप रहती हैं कुछ दिन पुलिस की मुहिम चलती है और ठंडी पड़ जाती है।

वैसे इस नगर में इंदौर के सभी थानों में कबाड़ियों, सट्टे, जुऐं, वैश्यावृत्ति, अवैध ड्रग्स, शराब, जबन वसूली करने वाले गुंडों के गिरोहों, भूमाफियाओं, कालोनियों के माफियाओं, दलालों आदि अनेकों आपराधिक कृत्यों को संरक्षण देने के बदले रु. 200 करोड़ प्रतिमाह की वसूली होती है, जिसके बारे में समय माया वर्षों से लिखता रहा है। जहां तक वसूली का सवाल है, ट्राफिक पुलिस ने सारे ट्रॉफिक सिग्नलों में ही भारी जादूगरी कर रखी है, सारे सिग्नलों में जहां टाइमर लगे हैं। अचानक 10-20 सेंकड्स गायब होकर लाल लाइट आ जाती है। हरे से इससे वाहन चालक बीच में फंस जाते हैं। फिर उनसे चालान की धमकी देकर उगाही की जाती हैं, अब जबकि गृह मंत्री बाबूलाल गौर हैं। गुंडागर्दी, जुऐं, सट्टे, अवैध वसूली, आतंकवाद आदि सब फलने फूलने ही हैं। न केवल इंदौर में वरन् पूरे प्रदेश में। अपराधों की बाढ़ आने की घोषणा समय माया जन 14 के समाचार पत्र में किये अनुसार आ चुकी है। वैसे विश्व में भारत की पुलिस की छवि अपराध होने के बाद वसूली की बनी हुई है।

लोकायुक्त भी महीना वसूली कर अपराधियों को सालों बचाती रहती है। श्रम उपायुक्त एलपी पाठक जिनके ऊपर हालही में छापा डालकर 20 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई थी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार वो भी रुपए तीन लाख महीना बांटकर आराम से उपायुक्त के पद पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे मध्यप्रदेश में अनेकों अधिकारी हैं।

खाद्य सुरक्षा व मा. अधि. 06 में सभी एसडीएम जुटे हैं वसूली में

आचार संहिता में दोनों हाथों लूट रहे खाद्य व्यावसायियों को

मु.चि.अ. के सारे अधिकार सौंप दिये गये, उप जिलाधीशों को

पूरे देश में चुनावी आचार संहिता लगते ही जिलाधीशों, उपजिलाधीशों और सहा. जिलाधीशों और तहसीलदारों की उचट के लग गई है और उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले 400 से ज्यादा कानूनों के अंतर्गत मिले अधिकारों का खुलकर दुरुपयोग करने में जुटे हैं।

हाल ही में कुछ खाद्य व्यावसायियों जिसमें नमकीन, मिठाई, गोली बिस्कुट बनाने वाली व अन्य खाद्य विनिर्माण इकाईयों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के सारे एसडीएम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को साथ लेकर ऐसी इकाइयों पर छापे माकर नमूने लिये और जमकर कानून की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 जो कि 5 अगस्त 14 तक स्थगित कर दिया गया है के बावजूद भी उसके कानूनों की आड़ में मोटा आर्थिक दंड का भय देखाकर जो लाखों में था, मोटी वसूली की गई, जबकि कानूनों की स्पष्ट व्याख्या है कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर पहले दो लिखित चेतावनियां दी जायें, परन्तु सूत्रों के अनुसार इस कानून की आड़ में आचार संहिता लगने के बाद से करोड़ों रु. की वसूली की जा चुकी है।

जब ऊपरी वसूली हो जाती है तो सारी कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी जाती हैं, जबकि मुख्य स्वा. एवं चिकित्सा अधिकारी इस विभाग का जिला प्रमुख उपसंचालक होता है पर आचार संहिता लगने के कारण ये कानूनी अधिकार उप जिलाधीशों का अंतरत हो चुके हैं। जिसका खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वामी से बातचीत करने की इस संबंध में कोशिश की गई परन्तु उन्होंने टिप्पणी करने से मनाकर दिया कहा कि जो साहब बोले हमें उसका पालन करना है, नमूने जहां लेने के लिए कहे जायेंगे हमारी ड्यूटी हैं, हम नमूने लेंगे। नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हैं, ऐसे लगता है तो सीधे आप उनसे ही बात कीजियें।

इस कानूनी कार्यवाइयों से त्योहारों के समय व्यावसायियों को अपना व्यापार आदि छोड़कर कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। स्वाभाविक है वो पहले ही इस खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 के नियमों और प्रावधानों को देखतेहुए, जिसका मूल उद्देश्य सारी इकाइयों को येन-केन प्रकरेण बंद करना है और सारा व्यापार बहुराष्ट्रीय कं. को सौंपने का षड्यंत्र हैं, शीघ्र खाद्य वस्तुओं के व्यवसाय विनिर्माण को छोड़ दूसरी ओर अपनी आजीविका चलाने का साधन देख रहे हैं। उस पर ये बची-खुची पूंजी को छापे मारकर वसूली जा रही है, उससे खाद्य व्यवसायी भारी पीड़ित हैं। जिनकी हाल-फिलहाल 17 मई 14 तक आचार संहिता हटने तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद न्यायालयों में ही इस अवैध वसूली जिसमें कानूनी दस्तावेज होने पर चुनौती दी जा सकती है।

साप्ताहिक समय माया

संचानालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के भ्रष्टाचारियों का कृत्य

प्रदेश के किसानों की घोर बर्बादी, मंत्री-संत्री सबको लूटने से काम

मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर का आंकड़ों से भरा लवरेज रिकार्ड और रिकार्डतोड़ कृषि उत्पादन के आंकड़ों के दम पर राजनीति बहुत गर्म है। जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश में कृषि उत्पाद के आंकड़े झूठे एवं मनगढन्त है तो राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार बताकर केन्द्र सरकार से मिले कृषि कर्मण अवार्ड जैसे पुरूस्कारों को पाकर गद्गद् है। उत्पादन और उत्पाद के आंकड़ों को लेकर जिस प्रकार राजनीति हो रही है वह विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रतिद्वन्दता की पराकाष्ठा है। अगर बात करें कांग्रेस के आरोपों की तो उसका कहना है कि राज्य सरकार जैसे आंकड़े केन्द्र को भेजती है

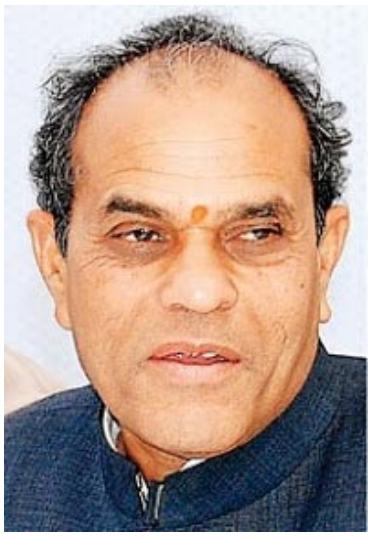

उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उत्पादन का राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय आंकड़े तैयार किये जाते है, और भाजपा की बात करे तो उसका कहना है कि उत्पादन है तो आंकड़े है। केवल आंकडों से कार्य नहीं होता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कुछ-कु छ दोंनों ही सही है,दोनों ही गलत हो सकते है। राजनीति हो या अर्थनीति ,परोपकार हो या व्यापार सभी जगह आंकड़ो का ही खेल है। इस आंकड़ेबाजी,और राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वता में किसान हो या आम आदमी,शोषण का शिकार बन रहा है। सत्ताधारी दल जनता को सम्मोहित करके उसका मानसिक शोषण करता है,तो मंत्रियों,विधायकों के मुंह लगे चापलूस किस्म के भ्रष्ट अधिकारी ,कर्मचारी राजनेताओं को आंकड़ेबाजी में फंसा कर जनहितकारी योजनाओं की चासनी के सहारे सरकारी खजाने को साल दर साल लूटते रहते है ।बेचारा किसान और भूमिहर मजदूर सरकारी रिकार्ड में करोड़ों के फायदा लेने वाला लाभार्थी बन जाता है। और हकीकत में कर्जदार और फकीर ही बना रहता है। सरकारें आती है और चली जाती है। कल कोई और मंत्री था और आज कोई है, कल कोई और होगा । इनका परिवर्तन निश्चित है ,परन्तु चापलूस किस्म के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कभी नहीं बदलते और न हीं उनकी कार्यशैली बदलती है। कृषि विभाग के अधीन जो आंकड़े बाजी का खेल है। उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश के डैम,तालाब,नदी ,नाले पानी से भरे है अच्छी बरसात हो रही है। वातावरण भी अनुकूल है। कोई प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति भी प्रदेश में नहीं है। प्रदेश का किसान मेहनत करने में कहीं कमजोर नहीं है ,वह बहुत जी-जान लगा कर मेहनत करता है, तो स्वाभाविक है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन अच्छा ही होगा । अब बात रही,किसी अवार्ड की तो यह राजनेताओं का आपसी प्रतिद्वन्द्वता का मामला है और अधिकारियों के लिए सेवा के बदले में कुछ हासिल करने की प्रतिस्पर्धा है। किसी किसान की अच्छी फसल को देखकर न उसके उत्पाद का कोई ज्यादा भाव देने वाला है और न ही उसे कोई मुफ्त खाद,बीज,बिजली या पानी देने वाला। उसे तो अपने रिकार्ड दुरूस्त करने के लिए भी तहसील और राजस्व न्यायालय में कदम-कदम पर भेंट चढ़ाना पड़ती है। और न ही अधिकारी कोई अपने कमीशन में कमी करने वाला है। अगर वास्तव में सरकार और विपक्ष किसान,मजदूर और आम आदमी का भला चाहते है तो इसके लिए कुछ कठोर फैसले अवश्य लेने होंगें। पहला सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए इमानदारी से काम करने के लिए योजना की राशि को भ्रष्टाचारियों से बचाने के ठोस एवं तत्काल दाण्डिक प्रभावी उपाय करने होंगें। दूसरा योजनाओं का लाभ लेने वाले आवेदक के अधिकारों की रक्षा कार्य में पारदर्शिता और इस व्यवसाय से जुड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों को करोड़ों की रिश्वतखोरी के चंगुल से मुक्त कराने के व्यवहारिक उपाय ईमानदारी से करने होगें। आज प्रदेश में हर कार्यालय में ईमानदार अधिकारियों का अकाल सा पड़ गया है । आज कोई भी सरकारी दफ्तर सरकारी न होकर एक सौदेबाजी की दुकान बन गया है।। अधिकांशतःसरकारी नौकरों की मानवीयता समाप्त हो गयी है । सरकारी नौकरी सिर्फ कूटरचना,षडयन्त्र और सरकारी धन से अपना उल्लू सीधा करना उद्देश्य मात्र बनता जा रहा है। इसमें कृषि विभाग प्रदेश में अब्बल है। प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की लम्बी फौज भरी पड़ी है। जो देखने और व्यवहार में लगते है मानों ईश्वर के दूत हों और कर्म सें होते है धनपशु। संचालनालय में मलाईदार पद पर बैठा कोई अधिकारी हो या जिले में बैठा कोई कृषि विभाग का अधिकारी। यहां भ्रष्ट तो आवश्यक रूप से मिलेगें ही,बल्कि महाभ्रष्ट,मंत्रियों के मुंह लगे भी अनेकों मिल जायेंगे। इस विभाग में यात्रा भत्ते के लिए 70से90 प्रतिशत तक फर्जी बिलों पर भुगतान लिये जा रहे है।,लोग रिकार्ड में गंभीर बीमारी से पीडित मगर बाहर गुलछर्रे उड़ रहे है।सूचना प्रौद्योगिकी की बजट राशि,किसानों की बैलगाड़ी अनुदान योजना,किसान फसल बीमा योजना,राष्ट्रीय किसान विकास योजना,जैविक खेती योजना,आइसोपॉम योजना,मिट्टी उपचार योजना,जैसी सैकड़ों योजनाऐं भ्रष्टाचारियों के आंकड़ों में फंस कर तड़प रहीं है। यहां के संचालक स्वयं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह लगे चापलूस के नाम से प्रसिद्ध है। संचालक डॉ.डी.एन.शर्मा के अधीन सेवारत सहायक संचालक श्री बी.एल.त्यागी और संयुक्त संचालक श्री अमर सिंह परमार महाभ्रष्टों की गिनती में गिने जाने वाले अवैध कमाई करने वाले प्रगाढ़ विद्धान है। यहॉ खास बात एक और है कि ये दोनों ही महानुभाव मुख्यमंत्री के गृह जिला सीहोर के मूलनिवासी है। जिसमें श्री बी.एल.त्यागी ग्राम किटौरा जिला सीहोर से है,तो श्री अमर सिंह परमार ग्राम गुलखेड़ी ,श्यामपुर जिला सीहोर के मूलनिवासी है। सीहोर एक चमत्कारिक और महान भ्रष्टप्रतापियों का पालनहार जिला है। कुछ साल पहले इस विभाग के एक अधिकारी श्री नेमा ने तो जो अपने अथक भ्रष्ट प्रयासों से करीब 1200 तालाबों का निर्माण कराया था। परन्तु खेद का विषय रहा है कि पुलिस और जनता की घोर लापरवाही के कारण करीब 700 तालाब चोर चोरी करके ले गये थे। यह चर्चा पूरे प्रदेश में विक्रम बेताल की कहानी तरह प्रसिद्ध है। इसी प्रकार श्री अमर सिंह परमार के अधीन विभाग का आइसोपॉम , सॉइल कंजरवेशन का प्रभार है। भ्रष्ट व्यवस्था के चलते सब कुछ उम्दा ही उम्दा है। राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत करोड़ों के बजट में से अपने हिसाब से समय नीति और अपनी पाचन क्षमता के अनुसार राशि निकालते रहते है। कभी तिलहन के नाम से कभी दलहन के नाम से कभी उसके फसल उपचार के नाम पर ,कभी केमीकल खरीद करने के नाम से। प्रदेश में मिट्टी का परीक्षण,उपचार जैसे जुमलों के बारे में कुछ बताने के लिए नई बात नहीं है,सभी लोग हकीकत को जानते है। श्री परमार साहब एम.एस.सी. शिक्षित भ्रष्टाचार और राजनेताओं के समन्वय के प्रगाढ़ विद्धान कहे जाते है। परिवार में छः भाइयों में अकेले ही किसी आई.ए.एस.अधिकारी की जैसी जीवन शैली में जीवन जीने वाले व्यक्ति है। शेष भाई मध्यम वर्गीय कर्मचारियों वाला जीवन जीते है। अब वे सब पुरानी बातें हो गई जब श्री परमार साहब पहली बार

नौकरी में आये थे, तो एक सामान्य सी पुरानी साइकिल हुआ करती थी। परन्तु आज व्यवस्थापित चमत्कार के स्वामी हैं। आज इनके पास उज्जैन,इन्दौर और पैतृक गॉव में मकान दुकान,देवास में स्प्रिंकलर और पाईप निमार्ण करने वाली कंपनी है। 20-21 एकड़ का फार्महाउस,लगभग 200 एकड़ कृषिभूमि जैसे नामी और बेनामी संपत्तियों के स्वामी है। राजनीतिक कृपा इतनी कि अभी तक शायद ही कोई विभागीय मंत्री बचा हो जो इनके निवास पर जाकर मत्थाटेक कर ना आया हो। इसी प्रकार परमार जी दो तीन वर्षो से भागवत सुना-सुना कर अधिकारियों और राजनेताओं का आर्शीवाद प्राप्त कर रहे है। श्री परमार जी के पास विभाग और सरकार की विशेष कृपा से विगत 7-8 वर्षो से न प्रभार बदला ना स्थान हालांकि पदोन्नति होगई,सरकार बदल गई,कई मंत्री बदल गये। परन्तु अंगदरूपी श्री परमार जी बरावर जमे हुए है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी है श्री बी.एल.त्यागी सहायक संचालक । श्री त्यागी बी.एस.सी.तक शिक्षित एवं भ्रष्टाचार के एक महान प्रतापी हस्ती है। इनके अधीन विभाग का पौध संरक्षण ,प्रक्षेत्र,और लोक सेवा गारण्टी जैसे मलाईदार प्रभार है। श्री त्यागी जी ने अपनी आयाकट अनुभाग में सेवाऐं प्रारम्भ की थी। आयाकट के बन्द होने के बाद इन्होंने अपना संविलिलियन कृषि विभाग में करा लिया। यहां बड़ी ही चतुराई और कूटरचित तरीके से एक विभागीय अधिकारी श्री नवल किशोर ठाकुर की सेवा पुस्तिका के पेज फाड़कर अपनी सेवा पुस्तिका में जोड़ लिए और सांठ-गांठ करके विभाग में वरिष्ठता का लाभ लेकर सहा संचालक का पद हथिया लिया। इस संबंध में आज की प्रकरण कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।प्रदेश में इनके प्रताप से अमानक स्तर का फर्टीलाईजर,कीटनाशक दवायें,बनाने ,व्यापार करने के लिए लायसेंस लेने वाले लोगों की कतार लगी रहती है। इनके सेवा देने के बदले की सुविधा शुल्क सार्वजनिक है,जैसे प्रदेश में बड़े स्तर पर उत्पाद करने वाली कंपनियां लाइसेंस लेने के लिए 30-35 हजार,मध्यमवर्गीय व्यवसाय के लिए 15-20 हजार,अनापत्ति प्रमाण पत्र. और रिनुअल के लिए रू.8 से 10 हजार रेट तय है। और अमान स्तर के उत्पाद और विक्रय के सेंपल पास करवाने या कार्यवाही से बचाने के लिए लाभार्थी और संबंधित की आय विवरणीऔर लाभार्थी की हैसियत के अनुसार 20-25 हजार से लेकर 10 लाख रूपये तक रेट फिक्स है।म.प्र.में लगभग 90 बड़े स्तर की कंपनियॉ है,तथा 350 से 500 के लगभग छोटे एवं मध्यम स्तर के उत्पादनकर्ता एवं व्यवसाय करने वाले संस्थान है। अवैध और अमानक स्तर का उत्पादन करने वाले और व्यापारियों की संख्या का कोई ऑकड़ा नहीं है उनकी सूची मात्र महीना बसूली सं संबंधित अधिकारी की निजी डायरी में ही दर्ज रहते है। इसमें सहयोग के लिए जबलपुर में पदस्थ प्रयोगशाला प्रभारी भी सहयोग करके अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करता है। इनकी दबंगई का हम साक्षात् प्रमाण बताते है कि एक पूर्व विधायक एवं वर्तमान में प्रभावशाली मंत्री द्वारा एक कीटनाशक निर्माता कंपनी के अमानक स्तर के उत्पाद पाये जाने पर उसके खिलाफ थाने में एफ.आई.आर.दर्ज करने के बाद भी कोई वैधानिक कार्यवाही ही नहीं होने दी गई। बल्कि कूटरचित तरीके से उसे बचाने के लिए उत्पादन करने का स्थान ही परिवर्तित करा दिया। ताकि उत्पादन और व्यवस्था बरावर बनी रहे। महाशय बेईमानी के काम में बहुत ही ईमानदार है। फर्टीलाइजर और कीटनाशक निर्माता और व्यवसाईयों से सतत व्यवसाय और समन्वय बनाये रखने के लिए त्यागी जी ने अपने पुत्र और दामाद को जमुनिया चौराहा ,सीहोर में फर्टीलाइजर और कीटनाशक विक्रय की दुकान खुलवा रखी है। ताकि अवैध और अमानक उत्पादों के हिसाब किताब एकान्त में बिना किसी दुविधा के सुख चैन के साथ बेईमानी के कार्य ईमानदारी से किये जा सके। इन्ही की मेहरबानी से वर्षो से पड़ा पेस्टीसाइट्स का मटेरियल न डंप किया जा रहा है और ना इस संबंध में कोई वैधानिक प्रकिया अपनाई जा रही है। शायद साहब को भोपाल के 1984 के कांड से अनभिज्ञ है। इसी प्रकार त्यागी जी प्रक्षेत्र के दायित्व प्रभार विभाग के फार्मो में अधिक लागत कम उत्पादन दिखाकर आंकड़े प्रस्तुत करने में माहिर है। हां इसके बदले कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के घर अनाज ,दाल,चावल सेवा में भेज कर आर्शीवाद भी प्राप्त करते रहते है। श्री त्यागी के ऊपर विभाग और सरकार की विशेष कृपा से विगत 7-8 वर्षो से न प्रभार बदला ना स्थान हालांकि पदोन्नति होगई,सरकार बदल गई,कई मंत्री बदल गये, परन्तु अंगदरूपी श्री त्यागी जी बरावर जमे हुए है। सरकार के भ्रष्टतंत्र की कृपा से 70-75 एकड़ कृषि भूमि,मकान दुकान,गाड़ी और अन्य लगभग विलासिता के हर साधन हासिल कर रखे है। और सीहोर जिले के होन के कारण मुख्यमंत्री श्री चौहान की विशेष कृपा अलग से बनी हुई है। आज कृषि क्षेत्र की व्यवस्था के वारे में जानने वाले जानते है कि पूरे प्रदेश में इस विभाग में कैसी अराजकता है। विभाग में जैविक और अजैविक उत्पादों के बारे में कोई प्रथकरण की कोई तक नहीं है। कौन सा पदार्थ जैविक है अजैविक है कोई नही जानता। सल्फास जैसे प्रतिबंधित पदार्थ खुले बाजार में विक्रय हो रहे है। कहने को तो प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी में अवार्ड ले चुकी है। परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी के नाम पा विभाग में बजट राशि से जो कार्य दिखाये जा रहे है। वो किसी लूट से कम नहीं है। इसी प्रकार बीज निर्माण उपचार,प्रमाणीकरण खाद बीज का आबन्टन जहां देखो वहां अराजकता जैसा काम है । कोई नियम नहीं कोई कानून नहीं ।हालांकि कोई काम समय सीमा में कराने का प्रदेश में लोक सेवा गारंन्टी योजना लागू है परन्तु यहां तो त्यागी जी भी उस के प्रभारी है उनसे काम लेना तो बहुत बड़ी बात ह वो तो आवेदन लेते समय न सही से हस्ताक्षर करते है और न ही प्राप्ति दिनांक डालते है। अब समझा ता सकता है कि ये कितने चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि के प्राणी होंगें। इसमें राजनेता और व्यवस्थाधिकारी सभी बरावर के भागीदार है। यह भ्रष्ट व्यवस्था बेशक राजनेताओं,भ्रष्ट अधिकारियों ,अमानक स्तर का उत्पादन करने वाले या अवैध व्यापार करने वाले व्यापारी भले ही फीलगुड मे रहकर सुख का अहसास करतें होगें ,हो सकता है इसमें कुछ मीडिया घराने भी भागीदार हों,परन्तु भरतीय संबैधानिक नीति और ईश्वर की नियति दोनों के हिसाब से बहुत ही घातक है। इससे भी अधिक देखें तो अन्जान और बेखर किसान के लिए तो उसकी पीठ में पीछे से छिप कर छुरा घोंपने से कम नहीं है। मगर कोई बेचारा नागरिक कर भी क्या सकता है ,आखिरकार मुख्यमंत्री जी के पैतृक जिले के मूलनिवासी के साथ-साथ राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारी श्री रविकान्त द्विवेदी के परम मित्र तो ठहरे । कोई ज्यादा कहेगा श्री रविकान्त द्विवेदी की तरह ये भी धाराओं के साथ धमकी देने में पीछे नही रहते है।

28 वर्ष में 28 प्रश्न भी नहीं पूछे लोकसभा में

पेज 1 का शेष

या जिसे संसद बनने के बाद कभी अपने क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता और राष्ट्र की जनता से कोई मतलब ही नहीं रहा हो तो कैसे जनता के ईमले खोल कर पढ़ेगा और क्यो जनता की आवाज उठाएगा, बेशक उसे संसद बनने का गौरव जिस जनता ने दिया उसके प्रतिनिधित्व होने के नाते वह उसके नाम पर मिलने वाले मासिक, छहमाही, वार्षिक और वैधानिक प्राप्तियों के अतिरिक्त अवैधानिक प्राप्तियों जो प्रति वर्ष रु. अरबों में होती है, प्राप्त करने, उसको संभालने प्रबंधन में ही व्यस्त रही, संसद होने के दम पर उसके बेटे मंघार महाजन ने पूरा मप्र फ्लाइंग क्लब लिमिटेड को अपनी बपौती ही बनाकर उपयोग करना शुरू कर दिया, महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक के घोटालों में भी वह शामिल था। दूसरी और सांसद होने के नाते जबकि ताई स्वयं महिला है कभी महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने, पीड़ित महिलाओं को न्यास दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न केवल इंदौर के प्रशासन वरन् प्रदेश की सत्ता और प्रशासन से न केवल पूछताछ नहीं की वरन् उन्हें रोकने के लिए भी निर्देशित नहीं किया, चारों तरफ इंदौर में बढ़ते भूमाफियाओं के जाल, 450 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों 99 प्रश अवैध रूप से चलने वाली फैक्ट्रियों, उद्योगों के बारे में न केवल क्षैत्रीय वरन् अपने ही दल के सत्ताधीशों से न तो पूछताछ की और नही प्रदेश प्रशासन को निर्देशित करने का कष्ट उठाया। भोपाल की भीषण गैस त्रासदी को जानने समझने के बाद भी यूनियन कार्बाइड की ठोस अपशिष्ट 2600 टन मिक गैस को भी इंदौर में जलने से रोकने के लिए कहने की तो दूर वरन् इसके विपरीत उसमें बंटने वाले रु. 200 करोड़ सौदेबाजी में हिस्सेदार जरूर बनने की तैयारी की, जबकि पीथमपुर की रेमकी कं. जो उद्योगों की अपशिष्ट सामग्री को निपटान केन्द्र बनाया गया था, वह अपने निर्धारित 60 एकड़ की अपेक्षा 20 एकड़ में अर्थात एक तिहाई क्षेत्र में ही बनाया, न उसमें इतने अपशिष्ट को नष्ट करने की क्षमता है, न ही उचित प्रबंधन और उचित संयंत्र की ही व्यवस्था है। इसके विपरीत ताई और भाई मोटी कमाई के चलते उस 2600 टन जहरीली गैस के कचरे को इंदौर में जलवाने पर आमदा है। इंदौर, पीथमपुर और आस-पास की जनता मरे या उसे भयानक बीमारियां फैले कोई फर्क नहीं पड़ता।

सांसद निधि की मिली राशि से भी ताई ने सन् 2000 से अभी तक अधिकांश राशि फर्जी तरीके से नलकूप खनन जिसे पीएचाई से करवाना चाहिए था, लो.नि.वि. की विद्युत यांत्रिकीय विभाग से करवाना दिखाया गया एक ही नलकूप सांसद निधि से नहीं खोदा गया। नगर निगम ने भी पैसा खर्च किया और पार्षदों ने भी उसी नलकूप पर जनता से भी पैसा लेकर हजम कर लिया। अंदाज लगाया जा सकता है कि फर्जीवाड़ा ऐसा होता है, जनधन की लूट, बर्बाद किए जाते है, जनता से वसूले गए धन को। लोकसभा सत्रों में एक संसद पर प्रति मिनट 26000 रु. का खर्च आता है, चाहे वह लोकसभा सत्रों में उपस्थित हो न हो, रु. 50000 मासिक वेतन के साथ रु. 2000/- प्रतिदिन का भत्ता मिलता है, रु. 25000 प्रति माह का निर्वाचन भत्ता मिलता है। 150000 टेलिफोन कॉल्स मुफ्त मिलते है। 2 शयन कक्षों वाला फ्लैट मुफ्त मिलता है। दिल्ली में रु. 5 करोड़ का ब्याज रहित ऋण मिलता है। 2 सेवकों के साथ एसी प्रथम श्रेणी 40 रेल पास मुफ्त मिलते है। प्रतिमाह यात्रा के लिए रु. 5 लाख तक की परिवार की यात्राएं मुफ्त मिलती है। प्रतिमाह 50000 यूनिट बिजली मुफ्त, 4 लाख लीटर पानी मुफ्त, 16 रु. प्रति किमी टैक्सी किराया मिलता है, इतनी सारी सुविधाओं का उपभोग कर आखिर ताई ने इंदौर जिले को 28 वर्षों में क्या दिया जनता को।

ताई पिछले लोकसभा में इंदौर की जनता से वादा किया था कि इंदौर की सन् 19000 से लेकर 1980 तक शान रही टैक्सटाइल मिलों को जो बंद हो चुकी है, फिर से चालू करवाया जाएगा। क्या एक भी मिल चालू हुई, साथ ही मिल के कर्मचारियों को पुराना वर्षों से रूका पैसा मिला, इन पिछले 5 वर्षों में ऐसा कुछ भी नही, भले ही ताई-भाई बंद पड़ी मिलों की मशीनें नीलाम कर खाली पड़ी जमीनों पर अरबों रु. की कमाई के लिए नीलाम करने के लिए आंखे गढ़ाए बैठे है। बेशक प्रचार माध्यमों से अपनी कमाई के और अरबों रु. के विज्ञापनों से कमाई के चलते मोदी की लहर बनाई है, पर इंदौर की जनता ना केवल शिक्षित वरन् संवेदनशील भी है, उसे अपने भविष्य और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर उच्च शिक्षित सतत संघर्षशील, कर्मठ, सांसद को चुनने का अधिकार है, जिसे उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में पूरे राष्ट्र की जनता को लूटने 5 करोड़ ज्यादा किसानों उनके परिवारों को बर्बाद करने, खाद्य पदार्थ का व्यापार करने वालों जो पूरे देश मेंडी व्यापारियों से लेकर चाय पान के ठेलों छोटी उत्पादन इकाइयों में लगे 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर सन् 2006 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. बनाया गया उसके यह सब जानकर भी सभी भाजपाइयों जिसमें ताई भी शामिल थी। मोटी रकम हड़पकर आंख मींचकर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप सारे खाद्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले, उद्योगों से लेकर किसानों तक को भयभीत कर दिया। अब जबकि घोषण पत्र में भी भाजपा ने एफडीआई को पूर्ण रूप से लागू करने और सहयोग देने की घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया कि आने वाले समय में किसानों की जमीनों को छीनकर छोटे उद्योगों को बर्बाद कर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा सीधे बेरोजगार किए जाएंगे।

चुनाव आयोग जिलाधीश के इशारों पर होती है जालसाजियां

पेज 1 का शेष

अन्यथा चुनावी नारों और प्रचार से राष्ट्र के 600 नगरों से लेकर 60 लाख गांवों के निवासियों की दीवारें गंदगी से भर जाती थी। आयुक्त टीएन शेषन ने जो गलती से चुनाव आयुक्त बना दिए गए जिसे लेकर कांग्रेस भारी पछताई इसलिए उसके बाद से भारी भ्रष्टों और जालसाजों को ही चुनाव आयुक्त बनाया जाता है ताकि सत्ताधीशों की कुर्सी बची रहे, इस समय माया की टिप्पणीयां न केवल देश में वरन् पूरी दुनिया के अखबारों और अमेरिका के सत्ताधीशों की नजरों में छाई रही। जिसने केन्द्र के सत्ताधीशों को यदा-कदा काफी मानसिक यंत्रणा दी, परन्तु सत्ताधीश को मोटी चमड़ी का बनना ही पड़ता है ताकि सत्तासुख और उपभोग में कोई व्याधा बाधक न बने।

सत्ताधीश मंत्री और अधिकारी गण विपक्ष के जो ज्यादा दम खम वाले होते है। वो उनके किसी षड़यंत्र और चालबाजियों के विरूद्ध हो हल्ला न करें, मीडिया के माध्यम से जनता में बदनाम न करे इसलिए अनके हितों को साधकर षड़यंत्रों को अंजाम दिया जाता है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में ही देखे कि इंदौर में 24 अप्रैल को मतदान की घोषणा की गई। चुनाव में नामांकन की तिथि की घोषणा 29 मार्च से 5 अप्रैल तक घोषित की गई अर्थात अंतिम तिथि से मात्र 19 दिन बाद चुनाव संपन्न होंगे, बाद में 3 दिन नामांकन प्रपत्र को स्वीकार करने या रद्द करने की तिथि, उसके उपरांत 10 अप्रैल अंतिम नाम वापिस लेने के लिए जो राष्ट्रीय राजनैतिक दल नहीं होंगे उन्हें 10 अप्रैल को बताया जाएगा। उनका चुनाव चिन्ह 10 अप्रैल को मिलेगा अर्थात 14 दिन में प्रत्याशी कैसे अपने क्षेत्र के 30 लाख मतदाताओं से कैसे मिलेगा, कैसे चुनाव सामग्री प्रकाशित करवाएगा, यह सत्ताधीश दलों का षड़यंत्र विपक्ष के साथ मिलकर इसीलिए ही रचा गया कि कोई भी छोटे दल का या निर्दलीय प्रत्याशी जब तैयारी ही नहीं कर पाएगा तो चुनाव भी नहीं जीत पाएगा।

जबकि बड़े पंजीकृत राजनैतिक दलों का प्रचार प्रसार हो। वर्षों से हर दिन लगातार चलता रहता है वहां तो प्रत्याशी की घोषणा की औपचारिकता भर पूरी करनास होती है, जबकि छोटे दलों के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत उसे मात्र 12 दिन मिलेंगे क्योंकि 22 अप्रैल शाम 5 बजे से प्रचार बंद कर दिया जाएगा। दूसरी और इतनी बड़ी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में जो निर्देश भरे जाएंगे वो उसका ही पालन करेगी, जिलाधीश चुनाव आयोग का न केवल क्षेत्रीय प्रतिनिधि वरन् राज्य और केन्द्र का सचिव भी होता है, उसे जैसे सत्ताधीश निर्देशित करेंगे जिसे चुनाव जिताने की इच्छा रखेंगे उसी हिसाब से जिलाधीश उसमें समय और निर्देशित कर ईवीएम में भरेगा, उसी की इच्छानुसार परिणाम आएंगे जनता भले ही किसी का बटन दबाए।

वर्तमान जिलाधीश आकाश त्रिपाठी पूर्व में भी वर्षों तक इंदौर के निगमायुक्त रहे है और भाजपा के विशेष प्रिय रहे हैं। इसीलिए नगर के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के पूर्व उन्हें इंदौर में पदस्थ करवाया था, इन्हीं के संरक्षण में जमीनों के बड़े-बड़े सौदे हुए, सैकड़ों कॉलोनियां वैध, अवैध रूप से काटी गई, भाजपाइयों ने विधानसभा चुनावों में तीसरी बार सत्ता हथियाई। अब जबकि पूरे देश में भाजपा के मोदी की लहर है। लाख इंदौर की जनता उनके 1986 से अभी तक के इतिहास से घोर नफरत से भरी हुई हो, परन्तु चूंकि ताई सांसद पद की उम्मीदवार है। जिलाधीश को उन्हें येन-केन प्रकरेण चुनाव जितवाना ही होगा। एक आम निर्दलीय या अंपजीकृत राजनैतिक दल के उम्मीदवार को मात्र 12 दिन चुनाव प्रचार के लिए दिया जाना चुनाव आयोग और उसे नियुक्त करने वाले, कानून व नीति बनाने वालों की नियत और षड़यंत्रों को पुरी कहानी की स्वयं सिद्ध व्याख्या है।

सत्ता भाजपा या कांग्रेस की, दोनों ही बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली

पेज 1 का शेष

हिन्दुस्तान लिवर, रिलायंस, कारगिल, मेक्डोनल, टाटा आदि अनेकों जमीने हथियाकर अपनी तरफ से फसलें पैदाकर अपनी मनमानी कीमतों पर जनता को लूट सके, इस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 के विरूद्ध 2006 से ही समय माया ने जो इसके परिणामों को प्रकाशित किया था, उससे कहीं ज्यादा घातक परिणाम इसके सामने आने लगे। मप्र में मंडियों में फर-14 के महिने में मंडियों में किसानों ने माल खरीदना बंद कर दिया, इसके विपरीत जहां केन्द्र सरकार ने इसे एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया वहीं हमारी प्रदेश सरकार के घूर्त मुमं. शिवराज ने इसे मात्र 6 माह ही बढ़ाया, इसके साथ भाजपा के घोषण पत्र में भी एफडीआई को भारत में लाने की घोषणा ही बताती है कि ये हरामखोरों की फौज राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है। जबकि राष्ट्र की धरती किसानों की मेहनत से हर 3-4 माह में दलहन, तिलहन, अनाज, सब्जियों, फलों आदि के रूप में सोना उगलती है। जो ये कागज के टुकड़े रूपी डॉलर के लिए बहुराष्ट्रीय कं. को अपने मोटे कमीशन के लिए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को और 10 करोड़ से ज्यादा खाद्य वस्तुओं से जुड़े व्यापारियों दाल, चावल से लेकर अन्य उद्योगों के लोग बेरोजगार कर दिए जाएंगे, पर सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की दोनों ही को येन-केन प्रकरण चाहे प्राकृतिक संसाधनों को गिरवी रख, देश की 125 करोड़ जनता को लूटकर, गुलाम करवा कर धन चाहिए, वैसे जनता को लूटने का सबसे पहला कानून इंदिरा गांधी ने 1972 में आयोडाइज्ड नमक के नाम पर जनता को टाटा से लुटवाने के लिए बनवाया तब से यहां परंपरा सतत 42 वर्षों से चली आ रही है। परंतु इंदिरा गांधी की भी और राजीव गांधी के शासन काल से बहुत तेजी से बढ़ा जिसमें फिर विश्व व्यापार संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त शैतान संघ जतो यूरोपिय खास तौर पर अमेरिका द्वारा बनाया वह शैतान संघ है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व के प्राकृति संसाधनों को जिसमें जन, खनिज, कृषि भूमि आदि है। पर अपनी कमाई कर पूरे विश्व को गुलाम बनाकर अपना मौज मस्ती की जाए के अंतर्गत नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री का में हस्ताक्षरित किया गया था, परंतु 1999 में भाजपा के राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन में विनिवेश का कार्य संभालने वाले अरुण शौरी ने इसको अंजाम तक पहुंचाकर अरबों करोड़ की संपत्तियों को हजारों करोड़ में दूसरे पूंजीपतियों को गिरवी करवा या बैंच दिया, जिसमें मार्डन फूड, वालो स्टील अथारिटी जैसे सैकड़ों सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप दिया गया, और अरबों रुपए का कमीशन हजम कर लिया गया। अर्थात भाजपा और कांग्रेस भले ही सत्ता हथियाने के लिए सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे की बुराई करें पर अंदर लोकसभा में बैठकर जनता को लूटने, उनके हितों को रिगवी कर वसूली करने के लिए एक हो जाते है। अब जबकि मोदी जिन्होंने अभी लोकसभा का मुंह नहीं देखा है। लोकसभा में पहुंचकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के हितों को साधेंगे, जैसा कि गुजरात में टाटा, बिरला, अंबानी से लेकर अनेकों बहुराष्ट्रीय कं. के हितों में उन्हें कृषि भूमि विद्युत आदि उपलब्ध करवाने में जनता का शोषण कर रहे है। मोदी ने अभी केवल गुजरात ही देखा है, अमेरिका के इतिहास का उन्होंने अध्ययन नहीं किया इन्ही बहुराष्ट्रीय कं. ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कई बार दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। शताब्दियों का पूंजीवाद का इतिहास रहा है कि जनहितों के घोर शोषण का कारण रहा है, फिर पूंजीपतियों को अपने लाभ से मतलब रहता है, न कि जनहितों को साधने में, जबकि लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनहित सर्वोपरि होते है। पर लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य होता है, कि जिस चुनाव में करोड़ों रुत्र खर्च कर चुनाव जीता जाता है, उस करोड़ों रुपए की अरबों रु. में वसूली करने के लिए भ्रष्टाचार करना, वसूली करने के लिए कुकर्म करना आवश्यक हो जाता है। अब जनता स्वयं निर्णय करें कि उसे कैसे नेता और देश का कैसा भविष्य चाहिए। आजादी के 66 वर्षों में कांग्रेस और भाजपा क्या कर चुकी है।

इनकमिंग मुफ्त होने पर भी सभी काटती है शुल्क

पेज 1 का शेष

इस आयोग का कार्य था कि अरबों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, इसके विपरीत इस नियामक आयोग ने 1 अरब उपभोक्ताओं को लूटवाने की खूली छूट इन मोबाइल कं. को दे दी वरन् उस मोबाइलो की शुल्कों में होने वाली लूट की शिकायतों के लिए न केवल कोई कॉलम ही नहीं छोड़ा, बल्कि उल्टे ही उसने वोडाफोन जैसी ब्रिटीश कं. के साथ भारत में कार्य करने के लिए समझौता पत्र में भी इस बात पर भी हस्ताक्षर कर दिए कि मोबाइल फोनों में शुल्कों, दरों और लूट के विरूद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जाएगा। जिसका यह परिणाम हुआ कि न केवल निजी कं. यथा रिलायंस, एयरटेल, एचटेल, टाटा, वोडाफोन, वीडियोकॉन, एयरसेल के साथ ही बीएसएनएल,एमटीएनएल जैसी कं. जो कि भारत सरकार की उपक्रम होने के बाद भी सबकी लूट की देखा-देखी सभी सेवाओं में अनाप-शनाप हर तरीके से लूट शुरू कर दी। अर्थात ट्राई इन डकैतों का सरगना बन भारत की जनता की जेब पर प्रतिदिन रु. 1000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक की लूट करवा देता है, परंतु इस लूट के विरोध में राष्ट्र की कोई भी संगठन, न्यायालय तक पिछले 15 वर्षों में नहीं बोल पाया इस कड़वे सच के साथ पीछे का गहरा कड़वा सच यह भी है कि इस लूट की गहराई को 90 प्रश सेल फोन धारक समझ ही नहीं पाते। समय माया के श्री अजमेरा ने अनेकों ई-मेल भेजकर लोकसभा सत्रों में इस प्रश्न को उठाने के लिए कहा, जिसमें हमारी सांसद सुमित्रा महाजन भी शामिल थी, पर पिछले 14-15 वर्षों से चल रही हजारों करोड़ की इस लूट को रोकने के लिए सांसद में न तो कोई कानून लाया गया और न ही वर्तमान कानूनों में कोई फेर बदल और संशोधन न किए गए, पर उच्च पदस्थ सूत्रों से पता चला कि ये सभी निजी और सरकारी सभी मोबाइल कं. न केवल ट्राई को वरन् सभी सांसदों को भी मोटा धन बांटकर सब का मुंह बंद करके रखती है। इसलिए इस लूट के विरूद्ध न तो कभी कोई प्रश्न लोकसभा सत्र में उठाया जाएगा, न ही इसके विरूद्ध कोई नया कानून लाया जाएगा और न वर्तमान कानूनों में इस लूट को रोकने में कोई संशोधन या फेरबदल किया जाएगा। अर्थात रु. 1000 करोड़ से लेकर रु. 25000 करोड़ की ये लूट भारत के 100 करोड़ मोबाइल धारकों के साथ हर दिन वर्षों तक चलने वाली है।

साप्ताहिक समय माया

अखिल भारत हिन्दू महासभा

हिन्दु, हिन्दुत्व और हिन्दु राष्ट्र के लिये 1830 से प्राण पण से समर्पित

:: चुनावी घोषणा पत्र ::

जनवरी 1949 से राममंदिर का न्यायालयों में राम जन्म भूमि के प्रकरणों को हिन्दू महासभा द्वारा ही लड़ा जा रहा है एवं भव्य राम जन्म भूमि मंदिर बनवाने के लिए दृढ़ संकल्पित...

प्रेरणास्त्रोत
वीर विनायक दामोदर सावरकर

राष्ट्रीय अध्यक्ष
कमलेश तिवारी
(लखनऊ)

प्रदेशाध्यक्ष
शिवकांत शुक्ला
मो. 9424810045

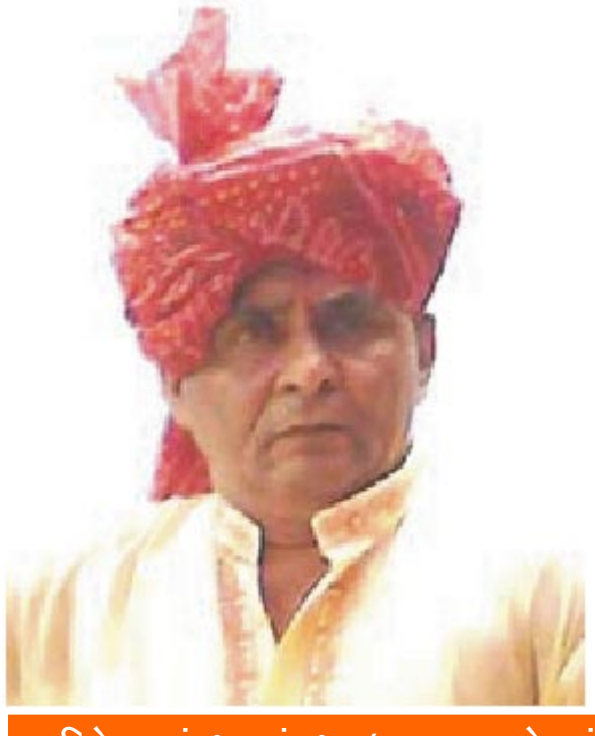

- महंगाई नियंत्रण हेतु खाद्य वस्तुओं का वायदा व्यापार, सट्टा आदि के एमसी डेक्स और एनसी डेक्स तत्काल बंद करवाया जायेगा। कार्पोरेट सेक्टर को खाद्य वस्तुओं के स्टॉक पर 40% से ज्यादा बैंक ऋण नहीं दिया जाएगा।
- हिन्दुओं की जबरन लालच देकर नसबंदी नहीं की जायेगी, हिन्दु भी पांच बच्चों को वैधानिकता के साथ जन्म दे सकेंगे।
- हर वर्ष 5% सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं से भर्ती होगी, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सकें, अगले 5 वर्ष में एक करोड युवा भर्ती किये जायेंगे ।
- भ्रष्टाचार दूर करने हेतु हर वर्ष 4% भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को हटायेंगें।
- मोबाईल फोन्स में होने वाली प्रतिदिन हजारों करोड की सफेद पोश डकैती को रोकने के तत्काल तंत्र विकसित कर फोन कं. की लूट रोकेगें।
- डीजल, पेट्रोल, गैस ईधन पर केन्द्रीय करों को घटाकर 20% व राज्य करों को 20% की अधिकतम सीमा में रख, पेट्रोल पंपों पर होने वाली लूट, मिलावट कम नाप को रोककर 58 ऑक्टेन का पेट्रोल उपलब्ध करवाएंगे। रू.50/- लीटर पेट्रोल, रू.40/- प्रति. लीटर, रू.40/- लीटर गैस उपलब्ध करायेंगे।
- बिजली, पानी, सडकों का निजीकरण, तत्काल सभी सेवाओं को राष्ट्रीयकृत कर रोका जायेगा ।
- किसानों को प्राकृतिक आपदा में बर्बादी पर उनकी लागत और मजदूरी जोडकर 100% बीमे से वापसी सुनिश्चित करेंगे।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 06 को तत्काल समाप्त करेंगे ताकि खाद्य वस्तुओं पर बहु राष्ट्रीय कंपनी की डकैती और 15 करोड लोगों का भविष्य में बेरोजगार होने से रोका जा सकें व मंहगाई पर नियंत्रण किया जा सके ।
- 12 वीं तक की स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा ताकि आगे की पढाई के लिये विद्यार्थी माता-पिता पर बोझ न बने, स्वरोजगार दिये जायेंगे ।
- पत्रकारिता से जुडे हर व्यक्ति को कार्य के दौरान दुघर्टना पर मृत्यु में रू. 10 लाख का बीमा, चिकित्सा के लिये रू. 2 लाख का बीमा, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं को न्यूनतम रू. 25,000/- के मासिक विज्ञापन देंगें।
- विद्युत हीन गांवों में सौर, पवन, उर्जा, गोबर कचरे व 12मासी नदियों के किनारे बसे गांवों की मूल लागत पर विद्युत व्यवस्था करेंगे।
- सूचना अधिकार अधि. 05 की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की शासकीय विभागों की सारी जानकारी ऑन लाईन उपलब्ध करवाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगें।
- ऑयोडीन नमक जैसे जनता को लूटने वाले सारे कानून तत्काल समाप्त किये जायेंगे ।
- ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने ग्रामीणों को गांवोंमें लघु व कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगें।
- सरकारें पूंजीपतियों की कठपुतली बन, वार्षिक बजट, कानून बनाकर जनता का शोषण करने के विरूद्ध संसद से सडक तक हर स्तर पर प्रतिरोध करेंगे ।
- खेलों के विकास व जनता को स्वास्थ्य व निरोगी बनाये रखने के लिए नगरों व गांवों के हर वार्ड में आंतरिक व बाह्य खेल परिसरों की स्थापना सुनिश्चित करेंगें।
- सभी शासकीय कर्मियों की हर 3 वर्ष में परीक्षाओं से पदोन्नतियां व अन्य लाभ सुनिश्चित करेंगें।

इंदौर लोकसभा से हिन्दु महासभा के प्रत्याशी

प्रवीण कुमार अजमेरा

(प्रधान सम्पादक, सा. समय माया समाचार पत्र)

और विस्तार के लिये देखें और पढ़ें (www.samaymaya.com) को

गोभी के फूल पर 24 अप्रैल को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाकर अपना और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित,समृद्ध और गौरवशाली बनायें।

चुनाव चिन्ह

कृपया अपनी सहयोग राशी प्रवीण कुमार अजमेरा जैन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कलेक्टोरेट परिसर ब्रांच के बचत खाता क्र. 20182994027 में भेजें

निवेदकः पं. भालचंद्र भट्ट (खजराना गणेश मंदिर), सत्यनारायण तिवारी, पं. पवन त्रिपाठी, सावन सोनी, श्रीमति अनिता भदौरिया, अर्जुन पंवार, यशवंत भदौरिया, महाशब्दे, संजय चौहान, दीपचंद भंवर, नरेन्द्र सिसौदिया, शिखर पाटौदी, प्रेमप्रकाश विजयवर्गीय एवं समस्त हिन्दू महासभा कार्यकर्ता

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256 37958, इंदौर कार्यालय- 0731-2015827, मोबा. 94251 25569